nt>

15.02 hrs

Title: Further discussion on the resolution regarding problems of sugarcane growers moved by Dr. Madan Prasad Jaiswal on 1 December, 2000 (Concluded).

MR. SPEAKER: Now, the House will take up further discussion on the following resolution moved by Dr. Madan Prasad Jaiswal on the 1st December, 2000:-

> "This House urges upon the Government to ensure payment of reasonable price to sugarcane growers by sugar mills within a week after supply of sugarcane and to take immediate steps for reopening the closed sugar mills in Uttar Pradesh, Bihar and other major sugarcane producing States."

Now, Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, डा. मदन प्रसाद जयसवाल द्वारा सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत संकल्प पर मेरा भाण अपूर्ण था। उस संकल्प में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गन्ना किसानों की समस्यायें हैं और चीनी मिलें बन्द हैं, उनके चलते हुए जो गन्ना किसानों की समस्यायें हैं, उनका समाधान हेतु विचार करने के लिए उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को सभी जानते हैं, बिहार के विभाजन के पश्चात् जो बचा बिहार है, उसमें 19 चीनी मिलें हैं, जो बन्द हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं, वे तो चालू हैं, लेकिन सरकारी चीनी मिलें बन्द हैं। स्थिति यह है कि उत्तर बिहार में इस उद्योग के अलावा दूसरा उद्योग नहीं है। जब देश में नौ लाख टन चीनी पैदा होती थी, तो बिहार में तीन लाख टन यानि एक-तिहाई, चीनी पैदा होती थी। अब देश में 164 लाख टन चीनी पैदा होती है, लेकिन बिहार में वही तीन लाख टन चीनी ही पैदा हो रही है। इस बारे में हमने माननीय मंत्री जी से सलाह की। चीनी पैदा करने में बिहार राज्य का स्थान दूसरा था और अब नीचे जाने के बाद भी उसका स्थान चार या पांच होगा । बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है। किसान के विाय पर सारे सदन के सदस्य खड़े थे। पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वही व्यवहार आज बिहार के साथ नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। सदन में जब यह मामला उठा, तो माननीय मंत्री जी उस समय सदन में नहीं थे। अनाज प्रोक्योरमेंट का सवाल हो, धान हो या मक्का हो, लेकिन गन्ना किसान भी तबाह हुआ है। गन्ने का किसान दो कारणों से तबाह है। देश भर में 500 करोड़ रुपया किसान का चीनी मिलों की तरफ बकाया है। चीनी मिलें बन्द हैं और किसानों द्वारा गन्ने के उत्पादन की खपत नहीं हो रही है। इस कारण सारे किसान तबाह हैं। जो सदस्य गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से आते हैं, जैसे श्री राम नगीना मिश्र जी, उनको किसानों की स्थिति के बारे में पता है । हम देखते हैं कि सरकार इस मामले में उदासीन है। उदासीन ही नहीं, हम कहते हैं कि सरकार किसान विरोधी काम कर रही है।

यह देखना चाहिए कि अगर राज्य सरकार किसानों की मदद में पीछे हो तो केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन हम वैसा देख नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब इस संकल्प का उत्तर देंगे तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों की मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की वैसी हैसियत नहीं। बिहार में 3000 करोड़ का घाटा हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है और 3000 करोड़ का घाटा होने से वहां के कर्मचारियों को वेतन मिलना दुर्लभ हो जाएगा, विकास कहां से होगा। फिर केवल खेती बचती है। खेती पर आधारित किसानों की तरक्की नहीं होगी तो फिर बिहार का भला नहीं हो सकता। 19 चीनी मिलों में से तीन चीनी मिलें बीआईएफआर में हैं और तीन चीनी मिलें निजी क्षेत्र में थीं, जिसे सरकार ने टेकओवर किया था। फिर उसे लौटाने की बात हुई है। जो 13 चीनी मिलें बची हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं हुआ है।

महोदय, गन्ना किसानों के सवाल पर विधान सभा में भी बहस हुई। अब वहां की केबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उन चीनी मिलों को आईएफसीआई के मार्फत प्र ाइवेटाइज़ कर दिया जाए, ज्वाइंट वेंचर में अथवा लीज पर कर दिया जाए। मतलब किसी भी हालत में चीनी मिलों को चालू कराया जाए। बिहार सरकार के मंत्री, पदाधिकारी और आईएफसीआई, सब को अपने यहां बुला कर आप बैठक कराएं ताकि किसी भी हालत में मिल चालू हो जाए। इसके लिए वे प्रबंध कराएं तो देश के लिए, बिहार के लिए और गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी भारी मदद होगी। लोग कहते हैं कि 1930-32 की चीनी मिले हैं, जो पुरानी हो गई हैं। उनकी मशीनरी चौपट हो गई है। आधुनिकीकरण का, विस्तार का, गन्ना क्रशिंग की केपेसिटी के बारे में विशेाज्ञ बताते हैं कि जब तक 5000 टन क्रशिंग केपेसिटी प्रति दिन की नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से वह किसी भी हालत में चलाने में लाभदायक नहीं हैं। किसी-किसी चीनी मिल का हिसाब जोड़ा गया है तो पता चला है कि एक किलो चीनी तैयार करने में 400 रुपए का खर्च लगता है। उस तरह की चीनी मिलें चलाने से, उसका इकनोमिक्स कहता है, सरकार कहती है कि कि उन्हें बंद रख करके मजदूरों को हम वेतन दें तो कम घाटा होगा, बशर्ते उसे चालू किया जाए। इस तरह की हालत है। इसलिए किसी भी हालत में भारत सरकार उसमें आगे आए। सरकार की तरफ से जब आफिसर का बनाया हुआ उत्तर आ जाता है, जैसे कोई कानून ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, उसमें हेर-फेर नहीं होता, संि वधान संशोधन होता है। एसटीएफसी को लोन देने का कानून है, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री स्तर पर हो, वित्त मंत्री, प्लानिंग कमीशन के स्तर पर हो, एक स्पेशल पैकेज देकर भी हो, मतलब किसी भी हालत में मिलों का आधुनिकीकरण हो और उन्हें जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, जिससे किसानों को राहत हो। तीन चीनी मिलें बीआईसी के आधीन हैं और वे तीनों चीनी मिलें बंद हैं। किसानों का बकाया भी, जो टैक्सटाइल विभाग के आधीन है, कपड़ा ि वभाग के आधीन है, वह पहले से सारा जर्जर है और किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसलिए वे सभी अधिकारी, संबंधित लोगों को, फूड और कंज्यूमर मिनिस्टर का भी विभाग पड़ता है, यह उन्हीं के विभाग हैं, आईएफसीआई को, इन सब को बुला कर बैठक करें। 15 दिन पहले बहस हुई थी तो हमें लगता था कि मंत्री जी पर असर हुआ होगा, लेकिन हमें लगता है कि कोई असर नहीं हुआ है। आज भाण पूरा होने के बाद इस पर ख्याल और अमल करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

15.10 बजे (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

इसलिए 10-15 दिन के अंदर में यह किया जाए। माननीय मदन जायसवाल जी के क्षेत्र में भी कई चीनी मिलें हैं, और जो चीनी मिल एरियाज के सदस्यगण हैं, उनको भी बुला लें तो बड़ी कृपा होगी। अब बिहार की दस करोड़ की आबादी में से हम केवल आठ करोड़ बचे हैं लेकिन वह भी कम हिस्सा नहीं है। आप राज्यवार प्रयत्न करें तो एसटीएफ से लोन भी लिया जा सकता है। आईसीआई, आईएफसीआई आदि को लें और राज्य सरकार को भी कसने की जरूरत हो तो राज्य सरकार को भी कसें और आप लीड करें और ऐसा प्रयास करें जिससे वहां की चीनी मिलें चालू की जा सकें। इससे देश समाज और किसानों को भला होगा और एक बहुत भारी काम आप कर सकेंगे।

मेरा पहला सवाल यह है कि बंद चीनी मिलें किसी भी हालत में चालू हों और दूसरा सवाल यह है कि आप देश में एक कानून सब राज्यों के लिए रखिये। पंजाब के लोगों ने शोर मचाया, हरियाणा के लोगों ने शोर मचाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने शोर मचाया तो उन्हें कुछ मिला। आंध्र प्रदेश के भाई मैदान में आये तो उन्हें भी कुछ मिला। लेकिन बिहार का किसान आज धान जला रहा है और बिहार में धान का प्रक्योरमेंट नहीं हो रहा है। उसमें भेदभाव की नीति हुई तो बिहार का किसान भी उठेगा और दिल्ली हिलेगी और उसके भयंकर परिणाम होंगे।â€¦(व्यवधान)पटना तो हिला हुआ है अब दिल्ली की बारी है। सभापति जी, माननीय हुक्मदेव जी हमारे वरिठ

साथी हैं लेकिन आज सरकार में उनकी क्या दशा है इस पर भी आप गौर करें। कभी माननीय नीतीश जी के नीचे स्टेट मंत्री बना देते हैं तो उसी में खुश हो जाते हैं। इस सरकार में कभी मंत्रियों से डेयरी का महकमा छिनता है तो कभी एग्रीकल्चर का और कभी जहाज की जगह पानी का जहाज दे देते हैं। अब सरकार में ये लोग हैं और किसी प्रकार से अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आज गरीबों के साथ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ, दबे-कुचले लोगों के साथ दुश्मन का सा व्यवहार यह सरकार कर रही है। इसलिए यह गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

सभापति जी, मेरा कहना है कि सभी किसानों के हित में एक-सा व्यवहार किया जाना चाहिए। पंजाब में प्रक्योरमेंट हो रहा है लेकिन आज बिहार में भी किसान ने 70-80 लाख टन अनाज पैदा किया है। अगर उसका प्रक्योरमेंट नहीं होगा, वह नहीं बिकेगा तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं और किसान की हालत का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के किसान की हालत क्या होगी?

आज गन्ना किसान की भी वही हालत है। चाहे गन्ना किसान हो, आलू, धान, मक्का का किसान हो, आज सब परेशान हैं। जो दो विभाग इससे संबंधित हैं उनके अधिकारियों को बुलाकर आप बात कीजिए और किसानों की मदद कीजिए।

बिहार की हालत पहले भी खराब थी और उसके विभाजन के बाद भी खराब है। जब से यह सरकार केन्द्र में आई है तब से ही बिहार विभाजन का काम शुरू हुआ।

पंचायत के चुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा के विपक्ष के नेता बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं जो कहता था वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि वहां चुनाव हों, विपक्ष ने कहा कि चुनाव हो लेकिन वहां किस कानून के तहत चुनाव हों? वहां मुखिया का आरक्षण नहीं, प्रमुख का आरक्षण नहीं, महिलाओं का आरक्षण नहीं, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह कभी कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते है और कभी हाई कोर्ट विरोधी हो जाते हैं। हम हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चलते हैं तो कहा जाता है कि यह संविधान विरोधी हैं। वहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। कहा जाता है कि इसके लिए बिहार सरकार कसूरवार है। गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया रोक कर बिहार की 10 करोड़ आबादी के साथ क्रिमिनल व्यवहार किया जा रहा है। इधर बिहार के जो लोग बैठे हैं वे बिहार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और न्याय नहीं कर रहे हैं। इसमें बिहार सरकार का कोई कसूर नहीं है। यदि कुछ घड़ी के लिए उनका कसूर मान भी लिया जाए तो वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसका पैसा नहीं काटना चाहिए और जनद्रोह नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके एरिया में भी छोटी-मोटी चीनी मिलें हैं। वहां के किसान परेशान हैं। वे कहते हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप हमारी मिल चालू करवा दें जिससे गन्ने की खपत हो जाए। इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। इस बारे में ठोस काम होने चाहिए। आप इस बारे में 10-15 दिन में सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाएं और सख्ती से कार्रवाई करें। इस बारे में केन्द्र सरकार मदद करके किसी भी हालत में बंद चीनी मिलों को चालू करवाए। आज बिहार के गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानो का 500 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसका भुगतान हो। उत्तर प्रदेश में 32 चीनी मिलें बंद हो गई हैं और भी बंद हो रही हैं। वे क्यों बंद हो रही हैं? आप इसे देखें। चीनी की रिकवरी बढ़े। ये सब काम हों जिससे शूगर इंडस्ट्री, गन्ना किसानों और देश को लाभ हो सके।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) :सभापति महोदय, आज का विाय जितना अहम है उतना पुराना है। हमें याद है आप मंत्री थे और उस समय हम इस विाय को लेकर बार-बार आपसे मिले। इसके बाद रघुवंश बाबू इसी विभाग के मंत्री हुए। हमने उन्हे भी यही गाथा सुनाई। ग्रामीण उद्योग का यह सवाल है। ग्रामीण किसान इसके साथ बंधा है। चीनी मिलें चाहे निजी क्षेत्र में हों, चाहे कोआपरेटिव क्षेत्र में हों, चाहे सरकारी क्षेत्र में हों, हर चीज का कंट्रोल सरकार के ऊपर रहता है। किसान कब लाएगा, कैसे गन्ना बिकेगा, किस दिन लाएगा, चीनी मिलें कितनी लैवी शूगर देंगी, कितना फ्री शूगर देंगी, किस तरह चलेगा, सरकार इसे कंट्रोल करती है। यह बहुत पुरानी बीमारी हो गई है। गौरी बाजार हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है । पहले वह मिल बंद हुई। हम उस समय से चिल्ला रहे हैं। इस संसद में बार-बार चिल्ला रहे हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया।

जब बीमारी बढ़ जाती है तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। उस बीमारी को दूर करने के लिये बहुत बड़े आप्रेशन करने की जरूरत होती है। मैं उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की बात करूंगा। यही हाल बिहार की चीनी मिलों की है। उनकी हालत दयनीय है। इसमें सोच तो बहुत हो चुकी है, अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आयेगा? उत्तर प्रदेश में 128 चीनी मिलें हैं। 1996 के आंकड़ों के अनुसार 910 करोड़ रुपये का बकाया था और आज की स्थिति में यह बकाया 140 करोड़ रुपये है। इस समस्या से बहुत से किसान प्रभावित हो गये हैं.। इस कारण से पूर्वी उत्तर प्रदेश कंगाल होता जा रहा है। उन किसानों के पास रोज़ी-रोटी का कोई जरिया नहीं है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 29 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र देवरिया और कुशीनगर जनपद में थीं और धीरे धीरे ये बंद होती चली गईं। आज चीनी का व्यवसाय बीमार पड़ता जा रहा है और यही हालत बिहार की चीनी मिलों की है। हमारे संसदीय क्षेत्र में कठकुइंया, पडरौना, सरदार नगर, गौरी बाजार, देवरिया, भटनी और वैतालपुर में चीनी मिलें हैं । इनमें से पांच चीनी मिलें निजी क्षेत्र में हैं जो बंद हैं। यदि आकलन किया जाये तो मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में इस समय बकाया राशि 45-50 करोड़ रुपये है। मैं नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से हमारे संसदीय क्षेत्र 50 करोड़ रुपये का बकाया सह सकेगा? यह सोचने की बात है। सरदार नगर की चीनी मिल का 27 करोड़ रुपये बकाया है। यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में है। किसानों का गन्ना सरकार के कहने पर चीनी मिल को दिया गया है लेकिन इनमें से तीन चीनी मिलें- कठकुइंया, पडरौना और गौरी बाजार राज्य सरकार की तरफ से संचालित नहीं होती थी, ये केन्द्र सराकार की ओर से संचालित की जा रही थी। इस कारण से प्रदेश सरकार का यह विाय नहीं है, यह केन्द्र सरकार का विाय है। अब ये निजी क्षेत्र मे चली गईं हैं और बी.आई.एफ.आर के पास हैं। चीनी उद्योग के मामले में यह बीआईएफआर के पास नहीं रही बल्कि ये ब्यूरो आफ फाइनेंशियल डैस्ट्रक्शन के पास हो गयी हैं। यह क्षेत्र कोर्ट हो गया, सामाजिक नहीं रह गया है। जनता से उसका कोई लगाव नहीं है। उसने आदेश दे दिया कि पहले आई.सी.आई.सी.आई. को और आई.डी.बी.आई. को पैसा दो लेकिन किसानों को पैसा नहीं दिया। इस कारण हम लोग बी.आई.एफ.आर. के पास गये। ये तीनो चीनी मिलें मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइसेज ने ले रखी हैं। हमने बात की लेकिन सुनी नहीं गई और कहा कि यह कोर्ट है। हमने कहा कि आप समाज को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिये ये चीनी मिलें उनसे वापस ले लें। यह सब व्यवस्था की बात है। अब हमारे सामने यह सवाल है कि पिछले 4-5 साल का बकाया गन्ना किसानों को किस तरह से पहुंचाया जाये? इस सब के चलते हमारे क्षेत्र पडरौना में गोली कांड भी हो गया।

जब गोलीकांड हुआ तो हर पार्टी के नेता, पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी, हमारी नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी आदि सब लोग वहां पहुंचे थे और इन सब लोगों ने वहां पहुंच कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की। पिछले पांच साल तक हम इसके लिए लड़ते रहे हैं और अब सब लोग पहुंच कर सरकार से कह रहे हैं कि फौरन पैसा दे दो, हम भी यहीं बात कह रहे हैं। लेकिन यह बात बहुत पुरानी है, यह हमें विरासत में मिली है। हमारी सरकार के समय में यह बात नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार का, हमारे शासन का यह दायित्व बनता है कि इस गिराव को रोके और यह गिराव दो मामले में है। पहला यह है कि किस तरह से 137 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए और किस तरह से 40-45 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्र के लिए पहुंचाया जाए, यह पुराना बकाया है, निजी मिलों का बकाया है, यह कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए। दूसरा मामला यह है कि जो मिलें पुरानी हो गई है, साठ साल से लगी हुई हैं, यदि उन्हें बंद करना है तो उनमें से कुछ मिलें जो ठीक काम कर रही हैं, किस तरह से उनका आधुनिकीकरण हो, किस तरह से उनका विस्तारीकरण हो, ताकि वे मिलें घाटे में नहीं, मुनाफे में चल सकें और गन्ना किसानों का गन्ना पहुंच सके, गन्ना किसानों का भुगतान कैसे किया जाए।

सभापति महोदय. माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इनके सामने कई बार यह बात आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से भी बात हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी के पास भी जा चुके हैं। हर स्तर पर बात हो चुकी है। लेकिन हमें यह दिखाई पडता है कि ये निजी क्षेत्र की मिले हैं, ये बी.आई.एफ. आर. की मिले हैं, मंत्री जी यही सब कहने वाले हैं। लेकिन किस माध्यम से किस तरह से उन्हें पैसा दिया जा, यह कोई नहीं सोचता। मैंने बार-बार यही कहा है कि सरकार मिलों को पैकेज देती

है,उसमें किसी न किसी तरह से पैसा लगाती है। हमारे सरदारनगर की मिल निजी क्षेत्र में है, कठकुनिया और पडरौना की मिल निजी क्षेत्र की हैं। इन मिलों के प्रभावित किसानों को पैसा एक पैकेज के लिहाज से डायरेक्ट दिया जाए और उन्हें यह समझा दिया जाए कि मिल को बेचकर भी उनसे पैसा वापिस लिया जायेगा चाहे वह कोई और माध्यम इस्तेमाल करें। गन्ना किसान ने उस मिल को अपना गन्ना सरकार के हुक्म से दिया है। यह मैं मानता हूं कि मिल मालिक को फायदा हुआ है। लेकिन उसमें हुक्म सरकार का रहा है। इसमें सरकार का हाथ है इसलिए कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं केवल आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं बार-बार यह सुझाव दे चुका हूं कि जितना पैसा है इसका पेमेन्ट गन्ना किसान को उन मिल मालिकों की तरफ से दिया जाए और मिल मालिकों से यह कहलवाया जाए कि इसका भुगतान वे करेंगे और इसके लिए एक समयबद्ध तरीका हो। अगर छ: महीने तक भुगतान नहीं करते हैं तो उस मिल को बेचकर सरकार अपना पैसा वापिस ले ले। यह एक कठोर तरीका है, इस पर काम करना है। हमारे ख्याल से किसी के दिमाग में यह बात नहीं है, रघुवंश बाबू वहां बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में यह नहीं है कि चार-पांच साल से जो ज्यादती हमारे किसानों के साथ हुई है, उसमें किस तरह से हम सबको मिलकर उन्हें पैसा पहुंचाना है। आज क्या दर्दनाक हालत किसानों की हो गई है, मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं। आज किसानों की बहुत दयनीय हालत हो गई है, उसका वर्णन करना बेकार है। उसका वर्णन करके हम केवल माननीय मंत्री जी को समझा सकते हैं कि इसकी फौरन जरूरत है। इसलिए निजी मिलों का पुराना भुगतान इस बात को लेकर कि कौन सी व्यवस्था बनाई जायेगी, इसके बारे में हमारे मंत्री महोदय आज स्पट करें, यह हमारी मांग है।

सभापति महोदय, हमारी दूसरी मांग यह है गोकि यहां पर पैसा दिया गया है 63 शुगर मिल उत्तर प्रदेश में हैं उनके आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 223 करोड़ रुपया दिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जनपद में और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो मिलें हैं, क्या उनमें से किसी का भी विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्योंकि हमारे ख्याल में जितना पैसा जा रहा है, उसमें से एक करोड़ रुपया भी हमारे क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा मिलें हैं उसमें नहीं जा रहा है और उसका आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। हमें यह कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रपोज़ल भेजे, हम उसमें मदद करेंगे, ऐसी बात हमें बताई जाएगी। लेकिन दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से प्रपोज़ल का इंतज़ार होता रहेगा जबकि कुछ क्षेत्र जलते रहें? क्या सांसदों को बुलाकर नहीं कहना चाहिए कि आपके क्षेत्र में किसका आधुनिकीकरण करवाना है और मैं देखूंगा कि जो मिल अच्छी तरह से चल रही है, जहां पर स्वयं मजदूर और किसान मेहनत कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। यह काम एक समयबद्ध तरीके से 10-15 दिन में करने की कृपा करें क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है। वह जनसंख्या जो कि आज अच्छा धान पैदा कर रही है, उसका उचित दाम भी उसे नहीं मिल रहा है। गन्ने का भुगतान भी बाकी है। इस प्रकार से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। वह किसलिए उत्साहित होकर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा यह हम जानना चाहते हैं और किसानों की उपेक्षा हो रही है यह हम बार-बार कहना चाहते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो इसके बारे में मंत्री महोदय हमें बताएं।

***SHRI K.K. KALIAPPAN (GOBICHETTIPALAYAM):** Hon'ble Chairman Sir, I would like to thank you for providing me an opportunity to participate in this discussion on the Resolution that seeks to highlight the plight of the sugarcane growers who are not getting remunerative prices in time. I would also like to thank our dynamic leader Dr Puratchi Thalaivi, the former Chief Minister of Tamil Nadu and the General Secretary of our party AIADMK who has provided me a golden opportunity choosing me a sugarcane growing farmer to represent the people of my constituency in this House. I am a farmer who produces sugarcane every year to the tune of about thousand tonnes per annum. I am now a member in this House which has taken up today for discussion the plight of sugarcane growers. Both the Union Government and the State Governments are ignoring the plight of sugarcane producers and are hitting hard the sugarcane growers. Sugarcane farmers are punished hard for no fault of theirs.

Apart from not ensuring suitable remunerative prices Government have also kept pending in arrears the payments that are due to them. Even one year after the procurement by sugar mills the payments are not forthcoming and remain long due. What would be the plight of the farmer to go for the subsequent year's cultivation? They have no other go except to pledge and mortgage their properties and the jewellery of their wives and children. They are lying in the banks and farmers remain indebted and are a worried lot due to the debts and interest commitments. These Governments have allowed them to continue in the suffering of heavy indebtedness. When farmers' plight are like this they are not lagging behind and contribute their mite in increasing the agricultural production especially sugarcane. But the Government which continues to ignore them seeks to import sugar from foreign countries that gives a serious blow to the sugarcane growers of the country. I would like to point out that this is a very wrong policy adopted by the Government. This needs to be corrected. Import of sugar must be curtailed. It should be discouraged to encourage the sugarcane growers of the country.

Today we find our farmers pushed hard to run from pillar to post because they do not get adequate support from the Government. I would like to reiterate again that it was a very wrong policy that was adopted by this Government. The condition of the farmers goes from bad to worse. Their condition is becoming pitiable. They are thrown to the verge of becoming poverty stricken. These cash crop growers would soon become paupers. All over India the sugarcane growers are meeting with the same kind of problem of not getting remunerative prices that too in time. This affects the chain of cultivation and would affect greatly the agro economy of this country.

Whenever there is price rise, based on the rising price index, you are increasing the salary of the Government employees. But you continue to ignore the plight of the farmers who are also worst hit by the price rise. There have been several hikes in the price of oil products like petrol, diesel and kerosene. This has greatly affected directly or indirectly the farmers and their families living in every nook and corner of our country. It is with a heavy heart I would like to point out that this Government has ignored the plight of sugarcane growers even after two years of assuming power. There in Tamil Nadu the Government led by Mr Karunanidhi has not fulfilled the promises it has

made during the elections. He had promised to give a higher price for sugarcane with 8.5 percent sugar content. But

he has not fulfilled those promises and the ultimate sufferers are the sugarcane growers. Due to non enhancement of sugarcane prices and non payment on sugarcane procurement, the farmers' condition is becoming increasingly difficult.

Now there is no one to attend to the problems of the agriculturists in general and sugarcane growers in particular. The entire families of these sugarcane growers are working hard in the sugarcane fields. They ignore even the needs of their children and families. The children of farmers are working hard in the sugarcane fields like in the process of watering and irrigating the fields before they could go to their schools. Such hardships faced by the sugarcane growers are not taken note of and they are not amply rewarded for their contribution to the agricultural growth of this country.

The molasses a bye product that is available in the sugarcane industry is being used as an alternative fuel in the western countries. When you can use sugarcane for so many productive purposes, you are ignoring the plight of the farmers of the country and you resort to import sugar from foreign countries. I would like to point out that this is a shameful act. This would only render the plight of our farmers more pathetic.

When we can produce enough sugarcane attaining self-sufficiency, we are not encouraged but sugar is being imported from Pakistan. Quite against the recommendations of the Food Corporation of India, sugarcane was sought to be imported because of your new import policy. The policy of the Government led by Shri Vajpayee to import sugar from foreign countries has greatly affected our sugar industry. The Prime Minister must own up the responsibility for the pitiable condition of the farmers of our country. Majority of the people of this country are the toiling masses working in the fields and I would like to point out that good

number of members in this august House are farmers and agriculturists. But I am pained to note that most of them are not raising the issue of farmers in this House. There is no one to attend to the needs of the farmers.

It took a long time for this Government to appoint a suitable agriculture Minister. This great country with vast cultivable lands and majority number of people finding their occupation as agriculturists could not get a responsive Agricultural Minister. It is really a pitiable thing. Seventy percent of the people of this country are living on agriculture. They are contributing a lot to the agro economy of this country.&#0;Ê But the conditions of the farmers remain pitiable. During the five year golden rule of Dr Puratchi Thalaivi in Tamil Nadu, there were enough of schemes to attend to the problems of the farmers. But now during the time when Shri Karunanidhi is in power in Tamil Nadu, sugarcane growers are not getting a better deal. Both the Union Government and the State Governments are ignoring farmers. Farmers are facing several problems like power cut and subsidy cut. They could not get proper irrigation facilities. Farmers are working day in and day out in their fields draining ground water. They fend for themselves and their problems are not attended to. The snake ridden sugarcane fields are hard one to handle. The blades of sugarcane sheath will be causing injury to the sugarcane farmers, but still the sugarcane farmers are working there. I would appeal to the Hon'ble Members of this House to visit at least once the sugarcane fields to see the condition of sugarcane farmers. Western countries are paying more to sugarcane growers. At a time when you should increase it to Rs 1,500/-, even Rs 1,000/- is not forthcoming. I would like to charge this Government for its wrong sugar import policy. I would also like

to point out that the anti agriculturists' policy in the form of new industrial policy of our Industries' Mister Shri Murasoli Maran has greatly affected the farmers.

MR CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K.K. KALIAPPAN: Both the Union Government and the State Governments are ignoring the needs of the farmers and the sugarcane growers. I appeal to the good senses of the members of this august House and through you the Government that you must come forward to ameliorate the poor conditions of the farmers of this country.

I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on this resolution that seeks to redress the grievances of the sugarcane growers. With this, I conclude.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद डा. मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा चीनी मिलों के जीर्णोद्धार व गन्ना काश्तकारों के भुगतान के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस उच्च सदन में हम उपस्थित होकर

किसानों के बारे में बहुत चिल्लाते हैं और हर पक्ष का हर सदस्य यह कोशिश करता है कि वही सबसे ज्यादा किसानों का हित-चिंतक है। इस देश में उन्हीं किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा वर्तमान में है। वह दुर्दशा केवल आज की नीति से नहीं बल्कि आजादी के बाद इस देश में जो नीतियां बनीं, उन सबका परिणाम हमारे सामने है। मुझे वे दिन भी याद हैं जब वर्ा 1998 में इसी उच्च सदन में हमने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की व्यथा पर चिन्ता व्यक्त की थी, जब इस देश के कुछ प्रदेशों में उन 400 से 500 किसानों ने, जो कपास उद्योग से जुड़े हुए थे, आत्म हत्याएं की थी। उस समय सदन चिन्तित हुआ था और उन किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी जिनके बारे में इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। किसानों की जय-जयकार हमने नारों के रूप में तो की लेकिन वास्तव में उसकी वेदना को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि जब भी इस सदन का सत्र प्रारंभ होता है तो हर पक्ष के सदस्य किसानों की समस्याओं के बारे में चिल्लाते हैं। लेकिन वास्तव में आजादी के बाद कभी भी किसानों की समस्याओं के समाधान की ओर गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। इसलिए आज यह संकल्प एक सदस्य के नाते डा. जायसवाल को प्रस्तुत करना पड़ा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित हूं जो प्रदेश का सबसे सघन गन्ना क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चीनी मिलें उस क्षेत्र में हैं। मुझसे पूर्व माननीय सदस्य श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा। निश्चित ही गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर आदि जनपद ऐसे हैं जो सघन गन्ना क्षेत्र हैं। हर चीनी मिल में पचास लाख क्विंटल से अधिक गन्ना काश्तकारों द्वारा उन चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है।

लेकिन आज जो दुर्दशा उन क्षेत्रों की है, किसानों की जो दुर्दशा है, निश्चित ही मुझे वे दिन पुनः याद आते हैं, जब 1998 में इसी सदन में हम लोगों ने किसानों की व्यथा पर विचार व्यक्त किये थे, आज किसान उस क्षेत्र में उस स्थिति तक पहुंच गये हैं। इसके लिए कौन दोाी है? निश्चित ही आज हम लोग इसीलिए इस संकल्प पर बोलने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। कहने के लिए कोई कहेगा कि जो चीनी मिलें हैं, वे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं या राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी होगी कि गन्ना उत्पादक का जो मुख्य उत्पाद चीनी है, अगर उस पर किसी का वित्तीय नियंत्रण है तो वह भारत सरकार का है। इसलिए भारत सरकार आज अपनी उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आज जिस दुर्दशा की ओर जा रही हैं, जो वहां का किसान और वहां का जो उद्योग चौपट हो रहा है, उसके लिए निश्चित ही जिस प्रकार से 1961 में तत्कालीन भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित में, जनहित को देखते हुए उन सभी चीनी मिलों का अधिग्रहण किया था, वहां पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, वैसा कदम अब भी उठाना चाहिए। आज आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि बिहार या देश के उस हर क्षेत्र में, जहां चीनी उद्योग से जुड़े हुए किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, वहां पर हम इस प्रकार की नीति बनायें, जिससे किसानों का हित हो सके। किसानों के व्यापक हित में हम कुछ कदम उठायें। उत्तर प्रदेश, खास तौर से गोरखपुर और उस क्षेत्र से सम्बन्धित जो चीनी मिलें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य चीनी निगम की हैं, वे 11 चीनी मिलें हैं, जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्द करने की घोाणा की थी। इससे पूर्व भी जो पूरे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की स्थिति है, उन चीनी मिलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 125 चीनी मिलें हैं। इनमें से 35 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 58 निजी क्षेत्र की हैं और 32 सहकारी क्षेत्र की हैं। इन चीनी मिलों में से 1996-97 में उत्तर प्रदेश में दो मिलें बन्द की गईं, 1997-98 में दो मिलें बन्द की गईं, 1998-99 में 10 मिलें बन्द की गईं और 1999-2000 में छः चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्द की हैं। ये चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के निगम से सम्बन्धित हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की है और वहां पर गन्ना किसानों की जो गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है, वर्ाों से आज भी उन चीनी मिलों में कार्यरत जो श्रमिक, मजदूर और कर्मचारी हैं, उनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इस बार जब पूरा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय इसी देश के एक क्षेत्र सरैया चीनी मिल, सरदारनगर में वहां के मजदूर आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे थे, क्योंकि उनको 22-22 महीने से वेतन नहीं मिला है। उस चीनी मिल पर 27 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। उसी प्रकार से भारत सरकार से सम्बन्धित गणेश शुगर मिल, महाराजगंज है, वह पिछले सात वर्ाों से बन्द पड़ी हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने कपडा मंत्रालय से इस सम्बन्ध में पिछले चार वर्ाों में न जाने कितनी बार सम्पर्क किया और कहा कि कोई फैसला तो आप ले लें, क्यों आप लोग चीनी मिल के मजदूरों और किसानों को अधर में लटकाये हुए हैं, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई। आज उसका परिणाम है कि पिछले कई महीनों से मजदूरों को कोई वेतन नहीं मिल पाया है। वह चीनी मिल बन्द है। जब कोई चीनी मिल बन्द होती है तो उस चीनी मिल में केवल कार्यरत कर्मचारी या मजदूर ही प्रभावित नहीं होते हैं, उस क्षेत्र का किसान ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उससे उस क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित होता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में घुघली चीनी मिल अन्यायपूर्वक बंद कर दी गई। वह उस स्थिति में बंद कर दी गई जिन 11 चीनी मिलों को बी.आई.एफ.आर. में गलत तरीके से सिक यूनिट घोाित किया था, उसमें यह भी थी। उन 11 में से छः मिलों को बंद किया गया, उसमें यह भी थी, जो कि परफारमेंस की दृटि से बहुत अच्छी चीनी मिल थी। उस चीनी मिल की क्षमता 982 टी.डी.सी. गन्ना पेरने की थी। 1998-99 में वहां 6,80,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की गई थी। उसकी रिकवरी 8.50 प्रतिशत थी और उसे बंद कर दिया गया। जबकि उससे कम क्षमता की चीनी मिलें आज भी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जिनकी रिकवरी भी उस चीनी मिल से कम है। इस प्रकार राजनैतिक विद्वेश की भावना से चीनी मिलों को बंद किया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, हम स्वतः अनुमान लगा सकते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। आज वह क्षेत्र आई.एस.आई. की राट्रविरोधी गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा है। अगर उस क्षेत्र का नौजवान बेरोजगार होगा तो रोजगार की तलाश में कहीं न कहीं वह उन राट्रविरोधी तत्वों के हाथों का खिलौना बन सकता है। इसलिए वह आई.एस.आई. की राट्रविरोधी ताकतों के हाथों का खिलौना न बने, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो फैसले पूर्व की सरकारों ने लिए और अन्यायपूर्वक इन चीनी मिलों को बंद करने की एक रणनीति चलाई थी, उस पर ध्यान दिया जाए। मैं जानता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जब निजी क्षेत्र की इन चीनी मिलों को लिया था। वह इस आधार पर लिया था कि इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसमें मेरे क्षेत्र की पिपराईन चीनी मिल, जो गोरखपुर जनपद में है, वह भी थी। जिसके जीर्णोद्धार के लिए किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उसका नवीकरण नहीं किया। बाऊंड्री वाल पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। इसी तरह घुघली चीनी मिल के साथ किया गया, वह भी आज तक चालू नहीं हुई। सरकारी नीति किस प्रकार से बनती है, सरकारों के फैसले किस प्रकार से होते हैं, यह इससे पता चलता है। अगर उस क्षेत्र से सम्बन्धित जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, उसके बारे में वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की राय ली गई होती तो ऐसे गलत निर्णय नहीं होते।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से आजादी के बाद से उस क्षेत्र में एकमात्र जो चीनी मिल लगाई थी, वह 1979 में नन्दगंज, गाजीपुर में लगाई थी, जबकि वहां गन्ने का उत्पादन नहीं होता, फिर भी चीनी मिल लगा दी गई। गोरखपुर जनपद में एक चीनी मिल सहकारी संघ ने लगाई और वह धुलियापार लगाई। वहां का एक भी किसान गन्ना पैदा नहीं करता, फिर भी चीनी मिल लगा दी गई। लगाने के बाद फिर उसे बंद कर दिया गया। उस चीनी मिल में एक महीना भी गन्ना नहीं पेरा गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार कोई फैसला लेती है तो फैसला लेने से पहले इस बात पर अवश्य ध्यान दे कि उस क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी बैठ कर राय ले और उनके विचारों को जान ले।

जब किसान को बैंकों से ऋण दिया जाता है, अगर एक हजार रुपए उस किसान पर बकाया होता है तो उस किसान को बेइज्जत कर दिया जाता है। उसका ट्रैक्टर थाने में या तहसील में बंद कर दिया जाता है और उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र के किसानों का आज चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार एक राट्रीय चीनी निगम की स्थापना करे। उसके माध्यम से जो जर्जर चीनी मिलें हैं, उनके नवीकरण के लिए एक कार्य योजना तैयार करे और साथ-साथ गन्ना उद्योग से जुड़े काश्कारों की जो समस्याएं हैं, जिनका पैसा बकाया है, उसका भुगतान कराए। इससे उस क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को हम काम दे सकेंगे और वे जो आज भटकाव की स्थिति में हैं, उससे उभरकर वे राट्र निर्माण के कार्य में लग जाएंगे। निश्चय ही इससे न केवल देश का हित होगा, बल्कि उस क्षेत्र में जो चीनी उद्योग बंद हो रहा है, वहां के किसानों की यह नकदी फसल थी, उनको भी फायदा होगा। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की तुलना हम खाड़ी के देशों के पैट्रोल से करें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार खाड़ी के देशों में अगर तेल के भंडार समाप्त हो जाएं तो वहां क्या स्थिति होगी, वही हालत पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना की है ।

अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी मिलों को बंद कर दें तो आज आवश्यकता है कि आज़ादी के बाद से जो स्थिति उस क्षेत्र मे पैदा हुई है, एकमात्र उद्योग भारत सरकार ने गोरखपुर में उर्वरक निगम का लगाया था। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड ने एकमात्र उद्योग लगाया था। पिछले दस वाँ से यह उद्योग बंद पड़ा है और पिछले दो सालों से वह फाइल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अंतिम योजना के साथ, अपनी स्वीकृति के साथ मंत्रालय के पास पड़ी हुई है। कृभको कारखाने को लगाना चाहता है लेकिन आज भी वह मंजूरी मंत्रालय से नहीं मिल पा रही है । किसानों को समय से खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा तो किसानों के उत्थान की बात बेईमानी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो अन्याय होता रहा है, हम चाहते हैं कि यह अन्याय बंद होना चाहिए और एक समान नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अगर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा होगी तो क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम आज दश के पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उसकी चपेट में न आ जायें, उसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। भारत सरकार जिस प्रकार से किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के लिए नयी कृाि नीति बनाई गई है, उसी के तहत गन्ना क्षेत्र के लिए राट्रीय चीनी निगम की स्थापना करके किसानों का उत्थान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आपको धन्य वाद देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री मदनप्रकाश जायसवाल जी का गन्ना किसानों की समस्या और यू.पी. तथा बिहार में जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उनके ऊमर जो चिंता व्यक्त करने वाला उनका यह संकल्प है वह निश्चित रूप से आज गन्ना किसानों की जो स्थिति है, उसको लेकर है और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर वह इस संकल्प को वापस न लें तो और ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा लेकिन मुझे मालूम है कि शांता कुमार जी उन्हें पटा लेंगे और बाद में वह इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

पूरे हिन्दुस्तान में 493 चीनी मिलें हैं और 68 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। किसानों का अरबों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। आज़ादी के पहले ये सब चीनी मिलें निजी हाथों में थी। बाद में इनका राट्रीयकरण हुआ। जो स्थिति बन रही है, उसमें निश्चित रूप से अधिकांश चीनी मिलों के निजी हाथों में ही जाने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब काम भारत सरकार के जिम्मे है। शुगर एक्ट भारत सरकार का है। मेरे पास यह "नयी दुनिया, इंदौर " का अखबार है। यह 2 नवम्बर 1999 का छपा है- "समस्याओं के घेरे में है गन्ने के शक्कर कारखाना तक का सफर " तथा इसमें लिखा गया है कि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र शासन तय करता है परंतु कारखाने को गन्ने का भाव समर्थित मूल्य के हिसाब से गन्ना उत्पादक को चुकाना पड़ता है और इन दोनों दरों में अंतर होता है। कभी-कभी तो राज्य समर्थित न्यूनतम समर्थन मूल्य से यह पचास फीसदी अधिक है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि निर्माता गन्ना राज्य सरकार की दरों पर खरीदे और लेवी शक्कर केन्द्रीय सरकार की दरों पर खरीदे। इसका मूल्यांकन न्यूनतम और समर्थन मूल्य पर होता है, उस पर बेचा जाता है। यह अत्यधिक विरोधाभास है कि सब कुछ होने के बावजूद भी स्थिति यह है कि पूरे साल गन्ना किसान मेहनत करता है, फसल पैदा करने के लिए गुडाई करता है, पानी देता है।

16.00 ण्द्दद्ध

जब वह मिल के दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसको 10-10, 12-12 घन्टे और कभी तो 24-24 घन्टे इन्तजार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी उसको पर्ची पकड़ा दी जाती है। उसके गन्ने की कीमत के भुगतान की कोई गारन्टी नहीं होती है। इस तरह से गन्ना किसानों की बहुत ज्यादा दुर्गति है। अभी प्रकाशमणि त्रिपाठी जी भााण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवरिया में गोली चली और दो किसान मारे गए तथा 11 किसान घायल हो गए। यह बात सही है, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां गए थे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी भी गए थे। मैं समझता हूं कि हर चीज को राजनीतिक दृटि से देखना ठीक नहीं है। गन्ना किसानो के बारे में आप क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कर्म से किसान यह सोचता है या नहीं सोचता है कि उसे कुछ लाभ हुआ है। लफ्फाजी से लम्बे समय तक न आप जिन्दा रहते हैं और न हम जिन्दा रह सकते हैं। असल सवाल यह है कि जिन वर्गों की समस्यायें हैं, उनको सही मायनों में लाभ हुआ है या नहीं हुआ है और वह लाभ चाहे आप पहुंचायें या हम पहुंचायें। एक लम्बे समय से लोग कोशिश करते रहे हैं कि उनको भुगतान हो जाए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। यह एक ऐसी स्थिति है, आदमी जब मर्यादा से बाहर हो जाता है, उसका घर बरबाद हो गया, परिवार बरबाद हो गया, साहूकार उसके दरवाजे पर खड़े है, कर्ज मांगने वाला उसके दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी है और जब वह इन सब दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाता है, तब जो स्थिति बनती है, उसका आप सहज ही मूल्यांकन कर सकते हैं। यही स्थिति पडरौना में बनी, जिसकी वजह से वहां गोली चली। किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और जब किसान पैसा मांगने जाएगा, तो गोली चलायेंगे, इस तरह से किसानों की समस्याओं को आप कैसे हल करेंगे। सरकार उसमें सकारात्मक भूमिका कैसे निर्वहन करेगी। यह एक विचारणीय सवाल है, क्योंकि हमारे भााण देने से समस्या हल नहीं होने जा रही है। यह दिखाई भी देना चाहिए कि हमारे करने से उनका भला भी हो रहा है।

जहां तक बन्द मिलों का सवाल है, योगी जी ने ठीक ही कहा । जब चीनी मिलें बन्द होगी, तो मजदूर बेरोजगार होगा। राट्रपति जी का अभिभााण एक तरह से सरकार का भााण होता है। सरकार की प्रतिबद्धता होती है, सरकार का कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट यह था कि सरकार एक वा में एक करोड़ रोजगार के नए अवसर देने का काम करेगी। अब सब चीजें निजी हाथों में जा रही है और रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे। व्य वस्थित रूप से देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मिलें बन्द होंगी, तो मजदूरों को काम मिलना बन्द हो जाएगा। निजी हाथों में काम देंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मशीनीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। नई तकनीक की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी । जब चारों तरफ से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो त्रिपाठी जी मुझे माफ करेंगे, अभी तो पडरौना में गोली चली है, फिर आपको हर गोली हर गली और हर कूचे में चलानी पडेगी । बेबसी, परेशानी, लाचारी, गरीब, भुखमरी - इन सब समस्याओं का हल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा। गांधी जी से देश में हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब वह वातावरण हिंसक बन जाता है, इस पर हम लोगों को विचार करना होगा।

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। गन्ना किसानों की समस्याओं के हल के लिये दो कमीशन - भार्गव कमीशन और महाजन कमीशन - बने थे। एक परम्परा सी हो गई है कि विभिन्न सवालों पर कमीशन बनते हैं, लेकिन उनकी संस्तुतियों को इम्पलीमेंट नहीं किया जाता है।

भार्गव कमीशन और महाजन कमीशन की क्या रिपोर्ट है। जायसवाल जी, जरा आप दिखवा लीजिए और सरकार से कहिए कि इनकी संस्तुतियों को लागू करें। यहां शांता कुमार जी बैठे हैं वे लागू करने का काम करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिसे खोई कहते हैं, अंग्रेजी में बगास कहते है, जिससे कागज वगैरह बनता था, अब जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है उससे बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। भेल ने शायद यह काम शुरू भी किया है। इसी से अल्कोहल और दवाएं बनाने का काम भी किया जा सकता है। गन्ने से शुगर के अलावा और क्या-क्या संभानाएं नई टैक्नोलॉजी से हो सकती हैं, दवा बनाने की, बिजली, अल्कोहल बनाने की, इन सब संभावनाओं पर भी हमें विचार करना चाहिए।

महोदय, हम कभी दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में नम्बर एक पर थे, अब शायद नम्बर दो पर हैं और ब्राजील नम्बर एक पर है। उन्नत किस्म के बीजों का भी अभाव है। क्यूबा और मोरिशिस का बीज हमारे यहां की तुलना में ज्यादा बेहतर है। इन सब सवालों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में शुगर के उत्पादन पर इतने कर नहीं हैं, जितने हमारे देश में हैं।

महोदय, मैं पुन: एक बार जायसवाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे एक सामयिक सवाल पर संकल्प लाए हैं। शांता कुमार जी, हमारे मित्र जो चर्चा कर रहे हैं उसके बाद अगर गन्ना किसानों पर आप थोड़ी सी मेहरबानी कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस रिजौल्यूशन के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, वह समयावधि समाप्त हो रही है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो इस संकल्प पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : महोदय, इस पर दो-तीन दिन चर्चा चलाई जाए।â€¦(व्यवधान)कम से कम गन्ना किसानों के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिल जाए।

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I do not have an elaborate experience on this issue. However, after observing the depressing situation, I got prompted to participate in today's discussion. Sir, a few minutes earlier, hon. Member, Shri Ramji Lal Suman has delivered a lurid details as far as agricultural scenario of India is concerned. I am very much in agreement with him.

At present, the entire agricultural sector has been suffering from severe depression. This syndrome has lashed out the length and breadth of our country stemming from cotton farmers to coconut farmers. In my State of West Bengal, the jute farmers are also suffering from the same financial constrain.

Sir, as far as sugarcane is concerned, it is a major commercial crop in India and for centuries Indian people have been persuading the cultivation of sugarcane. Sugarcane growers supply raw materials to our sugar industry.

What I would like to say is that a sustainable relationship between the producers of raw materials and the manufacturers is very much imperative because this relationship will determine the mode of our national income. Sugarcane growers consist of more than 45 million people. That means, 45 million farmers and their dependants are earning their livelihood from this sector. Five lakhs skilled and unskilled labours are employed in the sugar industry. Every year the total turn-over of sugar industry is as much as Rs.20,000 crore. It contributes a lot to the exchequers of both Centre and States to the tune of Rs.1800 crore.

But, I must admit that it is not the sole responsibility of the Central Government to look after the sugarcane growers because as far as the arrear recovery is concerned, this has to be looked after by the State Governments also.

India always enjoys a locational advantage because the countries surrounding India, namely, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, which are very much nearer to us and furthermore Russia and Indonesia, are all importing huge quantities of sugar. In India the per capita consumption of sugar per year is 15 kgs. This year the sugar production has been to the tune of 180 lakh tonnes. If we include the carry over stock, then it is easily conceivable that India can be self-sufficient as far as her sugar requirement is concerned.

Sugar industry is the second agro-based industry in our country. India is the largest producer in the world after Brazil and it is the largest consumer in the world. But this Government is very much generous enough to extend cooperation to the private sector. The free sale quota has been increased. The levy which was earlier imposed has been exempted now specially for those who are exporting sugar. But, on the other hand this Government appears to be stoically indifferent to the sordid plight of sugarcane growers.

It has been widely reported that sugarcane growers are being fired upon in Uttar Pradesh. In Gulbarga the sugarcane growers are setting their produce on fire because the price of sugarcane has decreased. India is already a signatory of GATT and WTO and under the negotiation, as regards the agreement on agriculture, a distorted trade provision is very much evident. India cannot exploit the agreement on agriculture to their advantage which the developed countries can do. That is why, anti-dumping measures have not been effective in this country.

Sir, the import duty has been raised to 27.5 per cent now against, WTO's bound rate 150 per cent. I would inform the hon. Minister that sugarcane would contribute a huge biomass which may eventually convert into generation of power. Now, 3000 megawatt of power is being generated from biomass. The other by product is ethanol which can be easily exploited to the advantage of our nation. Therefore, if we are able to exploit modern technology, we may help the sugarcane growers. I would request this Government to ponder over the entire gamut of the agricultural scenario and take effective measures.

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) :सभापति महोदय. माननीय लक्ष्मी नारायण पांडेय जी का यह दृटिकोण है कि बिहार में गन्ना नहीं होता है लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस देश में सबसे पुरानी चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल मेरे संसदीय क्षेत्र में है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस स्थान को चुना। चीनी का इतिहास इसी इलाके से शुरु होता है। इसके बाद वह चम्पारण के इलाके में फैला। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करके महाराद्र, गुजरात और पूरे देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ता गया। विडम्बना इस बात की है कि गन्ने का इतिहास ऐसे इलाके से शुरु हुआ जहां हम पले। गन्ने की ख्याति बढ़ते-बढ़ते देश के दूसरे हिस्सों गुजरात और महाराद्र में फैल गई। अखिर यह विाय ऐसा क्यों है? आज चीनी उत्पादन में हमारे देश का दूसरा स्थान है। देश की आर्थिक नींव में गन्ने की फसल और चीनी की बड़ी अहम भूमिका है। यह देश के अर्थ तंत्र से जुड़ा मामला है लेकिन यह देश के अर्थ तंत्र को प्रभावित भी नहीं करता है। खेत में काम करने वाला एक छोटा किसान और गाड़ीवान जो मिल में गन्ना पहुंचाता है, उसकी अपनी एक अर्थव्यवस्था है। हम बचपन में अपने गांव जाते थे तो देखते थे कि छोटी रेल गाड़ी में ईंजन लगा कर लम्बे डिब्बे में गन्ना मिलों में पहुंचाया जाता था। कुछ वार्ों बाद देखा कि वह रेल गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद गन्ना ट्रक से जाने लगा। इसके बाद ट्रक भी चले गए।

फिर ट्रॉलियों से पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद बैलगाड़ियों से पहुंचाया जाने लगा। जैसे-जैसे इतिहास बीतता गया, इसका उत्पादन कम होता गया। अब इसकी स्थिति खराब हो रही है।

अब किस को दोा दें, व्यवस्था को दें या प्रबंधन को दें, कर्मचारियों को दें या गन्ना किसानों को दें? आखिर इस देश में पिछले पचास सालों से गन्ना की खेती करने के प्रति क्या दृटिकोण रहा है, हमारे जैसे राजनेताओं को यह बात समझ में नहीं आती है।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि तीन वा पूर्व जब आप केन्द्रीय मंत्री थे तो मैंने आपके दरवाजे पर धरना दिया था। उस समय आपने एक निर्णय लिया था जो भारतवा के इतिहास में पहली बार लिया गया था। हालांकि आपके सचिव और पदाधिकारी इसका विरोध करते रहे लेकिन आपने वह निर्णय ले लिया। मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र की चीनी मिल बंद हो रही है, उसके लिये एक साल के लिये रियायत दे दीजिये। उत्तर प्रदेश की कानपुर शूगर मिल तथा अन्य तीन चीनी मिलें और बिहार की एक चीनी मिल के लिये आपने कानून देखकर, पढ़कर एक निर्णय लिया और आपने एक वा के लिये उस चीनी मिल की लेवी शूगर फ्री कर दी। आपने उस चीनी मिल को जीवित करने के लिये कदम उठाया। इसी आधार पर देश की अन्य चीनी मिलें, जिनकी स्थिति खराब थी, को एक साल की रियायत देकर जिन्दा कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार के टैक्सटाइल मिल के अधीनस्थ होने के कारण उस चीनी मिल में कुप्रबंधन के कारण वह बंद हो गई।

सभापति महोदय, आज देश में लगभग 500 चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने की बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस मामले में सरकार का क्या और कैसा निर्णय होगा। आप जानते हैं कि जब किसान की आर्थिक अवस्था खराब होती है और पैसे की जरूरत होती है तो वह धान, गेहूं या गन्ने की जमा की हुई खेती को बेचता है। गन्ना एक क्रैश क्राप है। जिस इलाके में गन्ने की खेती होती है, उस इलाके से खुशहाली दर्शायी जाती है। आज इस देश में क्या हो रहा है और इस सरकार की क्या नीति और नीयत है यह समझ में नहीं आता है? गन्ने की उपेक्षा हर एक सरकार ने की है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का दृटिकोण स्पट नहीं है क्योंकि गन्ना किसानों के प्रति अपनी सोच उजागर नहीं होती।

सभापति महोदय, यहां कहा गया कि कई सारे विशेाज्ञों की समिति और 2-3 आयोग बनाये गये लेकिन अंतिम नियमन कहां से प्राप्त हुआ? इस उद्योग को बचाने के लिये सरकार का ध्यान कब जायेगा, कब आप तय करेंगे कि इस देश में गन्ना किसान जो उत्पादन में लगा हुआ है, उसकी देखरेख करके इस उद्योग को जिन्दा रखने का उपाय करेंगे? कुछ ऐसे प्रान्त हैं जिनकी चीनी मिलों पर विचार किया जा रहा है। आज बी.आई.एफ.आर. के पास तीन मिलें उत्तर प्रदेश की और चार बिहार की है। उनकी आप्रेटिंग एजेंसी आई.एफ.सी.आई. को बनाया गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिहार में बीआईएफआर ने कहा है कि चारों चीनी मिलें एक साथ खरीद लें या अलग-अलग खरीदना चाहते हैं तो हम देने के लिये तैयार हैं। बी.आई.एफ.आर.के विज्ञापन के आधार पर आई.एफ.सी.आई. ने यह बात निकाली। मैंने देश के लगभग 50 उद्योगपतियो से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और कहा कि बिहार बंट गया है, यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, आप आ जाइये। यह लगभग चार करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। मैंने लोगो से कहा कि बंटे बिहार की इन चीनी मिलो के चालू करने के लिये जितना पैसा लगेगा, हम संस्थाओं से लेकर उन्हें देंगे क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन एक भी उद्योगपति वहां आकर चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करने के लिये तैयार नहीं है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जब जीर्णोद्धार की बात कर रहे है तो कोई उद्योगपति आने को तैयार नहीं है। हम किस प्लेटफार्म पर किसानों की बात को रखें? उनकी समस्याओं का कब तक निदान होगा, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, उसका क्या दायित्व होगा? जब देश के पूंजीपति निजी क्षेत्र में पैसा लगाने के लिये तैयार नहीं हैं तो वर्तमान परिस्थिति कैसे उभरी?

आखिर यह व्यवस्था कैसे हुई। महोदय, हमें इन सब मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह बहस अधूरी रहेगी। क्योंकि इस बहस के बाद यदि हम लोग उस अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तो इसका निदान नहीं निकल पायेगा। मैं आपके माध्यम से मात्र चीनी मिल, गन्ना किसान, मजदूर और किसानो के संदर्भ में इस विाय को सदन के सामने विचारार्थ रख रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे किसानो के संबंध में चर्चाएं जब-जब सदन का सत्र चलता हैं, होती रहती हैं और इस सत्र में भी कई माध्यमों से किसानों के विाय में चर्चाएं चलीं। लेकिन खासकर श्री मदन प्रसाद जायसवाल ने गन्ना किसान और उनसे जुड़ी समस्याओं के संबंध में जो सवाल उठाया है, उस पर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में अजीब स्थिति है। केन्द्रीय सरकार में भी वही स्थिति है। यह स्थिति हम इसलिए कहते हैं कि अगर पेट्रोलियम विभाग से संबंधित कोई चर्चा हो तो निर्णय लेने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके सामने है। लेकिन अगर किसानों के संबंध में चर्चा करने की बात हो तो कृि मंत्री जी उत्पादन की बात करेंगे। लेकिन अगर खेत में उपजे हुए सामान को बेचने की बात है तो शांता कुमार जी बात करेंगे। किसानों की बिजली की समस्या है तो सुरेश प्रभु जी बात करेंगे। अगर किसानो की सिंचाई से संबंधित समस्या है तो उसके लिए सेठी जी बात करेंगे। यानी किसानों से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों में नाचते-नाचते फाइल किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं रहती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे जब चुनाव का समय आता है तो आप, हम और सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। किसानों की समस्याओं पर हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम लोग चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो सदन में हम लोग चर्चा करते हैं और किसानों की समस्या एक चर्चा बनकर रह जाती है। इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। यदि कोई निर्णय होता है तो वह किसानों के हित में नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, अभी चर्चा चल रही थी कि नई कृि नीति की घोाणा हुई है। किसानो को लाभ देने की बात चल रही है, कृि नीति को हमने पढ़ा है, जो कृि नीति में दिया गया है, उससे हमे लगता है कि इस देश के किसानों को गुलामी की जंजीरों में बांधने का एक रास्ता खोला गया है। एक विश्व व्यापार को खोल दिया गया है, पट्टा सिस्टम लागू कर दिया गया है। यह किसानों के साथ आज क्या हो रहा है। हमें गन्ना किसानों की समस्या को समझना होगा। वा 1966 में सरकार द्वारा कानून बनाये गये, नियम बनाये गये कि गन्ना किसानों का भुगतान मिलों द्वारा 15 दिन में कर दिया जायेगा और 15 दिन में भुगतान न करने पर उन्हें सूद दिया जायेगा। अगर मेरी जानकारी सही है तो इस देश में लगभग सात सौ करोड़ रुपया किसानों का मिलों पर बकाया है। आप जो नियम बनाते हैं, आप जो कानून बनाते हैं, अगर उसका अनुपालन नहीं होता है तो उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी किस पर है।

16.29 बजे (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

उसका अनुपालन कौन करायेगा। हम किसानों के साथ बेदर्दी से पेश आते हैं चाहे वह सरकार हो, चीनी मिल मालिक हों या निजी चीनी मिल मालिक हों। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाये हैं क्या उनके अनुपालन के लिए आप कोई कदम उठाना चाहते हैं। अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो हम यह आपसे आपके जवाब में जानना चाहेंगे कि किसानो का जो बकाया पैसा है, उसके भुगतान के लिए आप क्या करने जा रहे हैं तथा आप इस पैसे का भुगतान क्या सूद के साथ करवा रहे हैं या सिर्फ मूल दिलवा रहे हैं और यदि आप भुगतान करवा रहे हैं तो कब तक करवा रहे हैं।

जो ईख का किसान है उनकी परेशानी को देखना हो तो खेती के समय देखें जब वे ईख पैदा करते हैं, उस समय देखें जब उनको बिक्री करनी होती है। जब वे मिल के चक्कर लगाते हैं, जब तक पुर्जा नहीं मिलता है, तब तक उनके गन्ने को मिल में नहीं लिया जाता है। बिचौलियों के माध्यम से उन्हें पुर्जा मिलता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे के नाम पर अपनी ईख देनी पड़ती है और कभी-कभी वह पेमेन्ट होती है तो उस पुर्जे पर ही दूसरा पैसा ले लेता है और किसान को उसके पैसे

का मूल भी नहीं मिलता है। बिहार में इस समय करीब 28 चीनी मिलें हैं जिसमें 15 सरकारी थीं। सरकारी मिलें बंद हैं। कुल 19 चीनी मिलें बंद हैं लेकिन जो 19 चीनी मिलें बंद हैं उसमें जैसा कि माननीय सदस्य रूडी जी ने कहा, मरहौरा चीनी मिल बंद हुए वर्षों बीत गए और वहां के किसानों का पांच करोड़ रुपया अभी भी उस मिल पर बकाया है। एक बार रूडी जी ने वहां धरना दिया था और प्रदर्शन कराया था। हम उस समय विधायक थे। हमें भी रूडी जी ने बुला लिया। वहां किसान घेरा डाले हुए थे और मिल का मैनेजर पुलिस और फोर्स की मदद से लाठी और डंडे चलवा रहा था। हम भी पहुंच गए तो रूडी के कहने से क्या-क्या हो गया, मैनेजर को हम पर भी मुकदमा करना पड़ा था। किसानों के सवाल पर जहां उसको पैसे देने चाहिए थे वहां उन पर लाठियां चलवाईं और मुकदमा किया। किसान की पीड़ा देखिये कि एक तरफ किसान परिश्रम करके गन्ना मिल में पहुंचाता है चाहे वह सरकारी मिल हो या निजी मिल, और पैसा मांगने पर उसे पुलिस के डंडे मिलते हैं। इन सब परेशानियों को नज़दीक से देखा जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण में क्या होता है कि एक तरफ तो जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मिलों में जो सामान बनता है उसका मूल्य निर्धारण ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने की बात होती है और दूसरी तरफ किसानों के खेत में जो उपज पैदा होती है उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया जाता है और उसका निर्धारण कौन लोग करते हैं जो एयरकंडीशंड कमरों में बैठते हैं जो किसानों की पीड़ा नहीं जानते हैं। उनके बाप-दादा बड़े लोग होते हैं और वह भी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। अगर किसानों के खेत से पैदा हुए सामान का मूल्य निर्धारण कराना हो तो किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल कराना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में अलग-
अलग खर्च किसानों पर पड़ते हैं, जिसका उन अधिकारियों को पता नहीं होता है और वे किसानो के गले पर तलवार चलाने का काम करते हैं। कभी-कभी सरकार की गड़बड़ नीतियों के कारण भी किसानों को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए जब कारगिल में युद्ध हो रहा था तो एक तरफ हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे और दुसरी तरफ पाकिस्तान से ही चीनी का आयात कर रहे थे। एक तरफ हम दुश्मन की आर्थिक मदद ही कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अपने देश के उद्योग पर हमला कर रहे थे, इस देश के गन्ना उत्पादकों के साथ मज़ाक कर रहे थे। हम सरकार में बैठकर क्या कर रहे थे? इसलिए हम कह रहे हैं कि किसानों के मामले में संवेदनशीलता से अगर नहीं देखा गया तो किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ भाषण और मंत्री जी के उत्तर से होने वाला नहीं है।

बिहार में इस समय किसान परेशान है। राज्य बंटवारे के बाद उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार वर्षा भर बाढ़ और सुखाढ़ की चपेट में रहता है। शून्य काल मे माननीय सदस्य पप्पू यादव जी ने किसानों के मामले को उठाया था और मंत्री जी यहां बैठे हैं, वहां क्रय केन्द्र खोलने की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली।

सभापति महोदय, लेकिन एक भी क्रय केन्द्र बिहार में चालू नहीं हुआ है, जहां किसान अपना अन्न बेच सके। आखिर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के किसानों के हित में अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो हम यह मानते हैं कि बिहार की धरती की जो बनावट है वह ऐसी है कि वहां से निकली चिनगारी से देश में क्रांति आ जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। जब 1857 में देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था, तो बिहार की ही धरती आरा से बाबू कुंवर सिंह ने तलवार उठाई और जब अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे चाहे गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बिहार के चम्पारण से ही शुरूआत की थी। फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जब लड़ाई शुरू की, तो वह भी बिहार से ही बाबू जयप्रकाश नारायण ने शुरू की और इंदिरा गांधी की सरकार को जाना पड़ा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को बता रहा हूं कि यदि उसने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहार के किसानों का गन्ने का बकया नहीं दिलाया, तो बिहार से निकलने वाली चिनगारी से न राज्य सरकार बचेगी और न केन्द्र सरकार। बिहार के किसानों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को और बिहार के किसानों के सवाल को गंभीरता से लें और उनके गन्ने का चीनी मिलों पर जो बकाया है, उसका भुगतान कराएं।

सभापति महोदय, मूल्यों के निर्धारण की बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के किसानों को दस क्विंटल का आप 770 रुपए दे रहे हैं और 9 क्विंटल गन्ने में यदि एक क्विंटल चीनी मिलती है, तो वह 770 रुपए की पड़ी और उसको आप बाजार में 1600 रुपए की बिकवा रहे हैं। इससे किसानों का मजाक हो रहा है। सारा मुनाफा आप मिल मालिक को दे रहे हैं। मेहनत किसान की, परिश्रम किसान का और धनी मिल मालिक बन रहा है, यह कैसे चलेगा? किसान अपना गन्ना बैल पर लादकर लाता है और उसके बैल का गोबर और ईख का पत्ता भी मिल मालिक बेच लेते हैं। उनके गन्ने का दाम तो मिल मालिक किसान के बैल के गोबर और ईख के पत्ते को बेचकर ही निकाल लेता है। फिर आप किसान को मात्र 693 रुपए गन्ने का दाम दे रहे हैं और 693 रुपए के गन्ने से पैदा हुई एक क्विंटल चीनी को आप 1600 रुपए में बिकवा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि किसान को कम से कम एक हजार रुपए तो 10 क्विंटल गन्ने का दाम दिलाएं ताकि उसे कुछ तो मिल सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मढावरा चीनी मिल है, वह कैसे चले इस पर गंभीरता से िवचार कीजिए, चिन्तन कीजिए। रूडी जी, अभी कह रहे थे कि उस चीनी मिल को चलाने वाला कोई पूंजीपति नहीं मिलता है। मेरा उनसे आग्रह है कि आप सरकार से बात कीजिए, मैं एक सप्ताह में उसके लिए कोई न कोई पूंजीपति ढूंढकर आपको बताऊंगा जो उस चीनी मिल को चलाएगा ताकि किसानों की व्यवस्था हो सके। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। आप सरकार से बात करिए। मैं एक सप्ताह के अंदर आपको कोऊ न कोई पूंजीपति ढूंढकर बताऊंगा।

सभापति जी, मैं जानता हूं कि मंत्री जी एक भावनात्मक आदमी हैं। मैंने उन्हें कुछ दिन पूर्व उन्हें भ्रटाचार के बारे में एक पत्र लिखा था। मुझे मालूम है उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर डांटा था और कहा था कि इस केस में भ्रटाचार नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, बिहार की जनता और गरीब किसानों की भावनाओं को समझेंगे और उन्हें अहमियत देंगे, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए उनके बकाया के भुगतान और ईख के दाम बढ़ाने के बारे में जरूर घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसी प्रकार डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल से भी आशा करूंगा कि वे विचलित नहीं होंगे और इस संकल्प को वापस नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, सायंकाल के 4.00 बज चुके हैं। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, तो आज जो दो बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हमारी ओर से प्रस्तुत करने के लिए हैं, वे सदन में प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। महोदय, दोनों संकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक तो आदिवासियों से संबंधित है और दूसरा फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से संबंधित है। मेरा आग्रह है कि आप हमारी भावनाओं का आदर कीजिए तथा तीन और चार नंबर पर ये जो दो संकल्प हैं, इन्हें आप प्रस्तुत कराइए।

सभापति महोदय : कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मुझे मालूम है कि इसके बाद दो बिलों का सदन में इंट्रोडक्शन होना है तथा उससे पहले इस बहस का जवाब भी मंत्री जी को देना है। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक डा. मदन प्रसाद जायसवाल से भी आशा करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस नहीं लेंगे और सरकार से इसके ऊपर कोई ठोस उत्तर लेंगे।

सभापति महोदय, मैं डॉ. मदन प्रसाद जी जायसवाल द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इसमें वोट लेने का प्रश्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार भी इस प्रश्न पर गंभीरत से विचार करे और किसानों को उनके गन्ने के बकाया का भुगतान कराकर उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करे।

सभापति महोदय, 1966 में शुगर एक्ट बना था और उसमें यह प्रावधान था कि 15 दिन के अंदर यदि मिल वाले किसान के गन्ने का दाम नहीं देंगे, तो उन्हें ब्याज

सहित किसान के गन्ने का दाम देना पड़ेगा, लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप किसान का 707 करोड़ रुपया आज भी चीनी मिलों पर बकाया है।

483 या 493 के करीब मिलें होंगी जिनका अलग-अलग क्षेत्रों में काम बांटा गया है। इनमें से 68 मिलें बंद हैं। मेरा निवेदन है कि उन मिलों का सात दिन के अंदर भुगतान किया जाये। मेरा कहना है कि चीनी विकास कोा का 1100 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जिन मिलों का राट्रीयकरण किया गया है, उनकी दशा बहुत ही खराब है, शोचनीय है। किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान जो चीज बोता है जैसा मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे कि उसे इन चीजों को बोने में कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। आज मैं इतनी बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार अब कौन आगे है और कौन पीछे है लेकिन जब मैं हरिद्वार की यात्रा करने के लिए जाता हूं तो रास्ते में देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में सब जगह किसानों ने गन्ना बो रखा है। जब उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान निश्चित रूप से परेशान होगा। इसलिए किसान जो चीज मेहनत से बोता है, उसको भारत सरकार खरीदती है और वह किस रेट पर खरीदेगी, यह रेट भी भारत सरकार तय करती है। मेरा मतलब यह है कि इस प्रकार से जो आयोग बने हैं जिनका पिछले वक्ता जिक्र कर रहे थे, इसमें पता नहीं कौन भार्गव आयोग मेरी जात का बन गया है। इसके अलावा एक दूसरा आयोग भी बना है। इन दोनों ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने मिलों का राट्रीयकरण किया है तो मैं समझता हूं कि वे इसको ठीक प्रकार से चलायेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार उन चीनी मिलों को चलायेगी।

इसके बाद आधुनिकीकरण और विस्तार करने पर जो रकम खर्च की जा रही है, उस संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी आशंका प्रकट की है कि भारत सरकार ने जो पैसा उनके आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए देने का आश्वासन दिया है, वह काम पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। इसलिए वहां के जन प्रतिनिधियों को, लोक सभा के सदस्यों को, विधायकों को विश्वास में लेकर उन मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि भारत सरकार ने जो मिलें बंद की हैं, उन किसानों के हित के नाते उन मिलों को पैसा चुकाया जाये और किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए, वह उन्हें मिले वरना किसान आंदोलित होगा, दुखी होगा। कई जगह किसानों को अपनी उपज का भरपूर पैसा न मिलने के कारण आत्महत्यायें करने या अपनी जान से हाथ धोने की जो घटनायें अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं, वह भी नहीं मिलेंगी। यहां पर दोनों मंत्री विराजमान हैं इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इस संबंध में प्रयास करे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि डा. साहब इस प्रकार का जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, किसानों की समस्या के बारे में अपने मन की बात कहने के लिए आपने हमें आज्ञा दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्य वाद। हमारे बहुत सारे विद्वान साथियों द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। मैं यहां लेक्चर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। शायद मंत्री जी चले गये हैं। â€¦(व्यवधान)

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : राज्य मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : ठीक है। मैं दो-तीन समस्याएं जैसे सूखे, बाढ़ और गन्ने की समस्या हर बार उठाता हूं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। हमारे सारे साथियों ने इस बारे में काफी कुछ कहा है। मैं सारे देश के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से मेरा घनिठ संबंध है, उसके बारे में मैं जरूर कहूंगा। सबको मालूम है कि दोनों प्रदेश की जलवायु ऐसी है कि वहां अन्य फसलों की अपेक्षा गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। आज भी शासन की यह रिपोर्ट है कि जितना गन्ना पैदा होता है, उसका आधा गन्ना भी शुगर फैक्टरियों को नहीं जाता है। केवल 35 से 40 प्रतिशत ही गन्ना शुगर फैक्टरियों को जाता है। बाकी का गन्ना कृाको और कोल्हू को जाता है। आप जाकर देखिये तो आपको मालूम होगा कि गांव-गांव में छोटी-छोटी मिलें चल रही हैं और 40 रुपये, 45 रुपये या 50 रुपये प्रति क्विंटल में उनका गन्ना बिक रहा है जबकि हमारे यहां गन्ने का दाम 90 या 95 रुपये प्रति क्विंटल है। शायद बिहार में भी 90-95 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

किसान अपना गन्ना आधे दाम पर कोल्हू में दे देता है। आश्चर्य यह है कि कहां कहें, किससे कहें, कब कहें। अगर कानून बनाने वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो किसान कहां जाएगा।

अभी प्रभुनाथ बाबू ने कहा कि कानून बना हुआ है कि मिल मालिक को पन्द्रह दिन के अंदर गन्ने का दाम देना होगा। यदि पन्द्रह दिन के अंदर नहीं देता तो पन्द्रह प्र ातिशत के हिसाब से ब्याज सहित गन्ने का भुगतान करना पड़ेगा। बुलंदशहर का एक केस है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि गन्ने का दाम और मजदूरों की तनख्वाह पन्द्रह प्रतिशत के हिसाब से जोड़ कर, अगर फैक्ट्री घाटे में जा रही है तो उसे बेच कर देना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन अब क्या हो रहा है। गोरखपुर कमिश्नरी और पटना के पश्चिम का इलाका तबाह हो रहा है।

अभी हमारे मित्र ने कहा, भारत सरकार की एक कानपुर शुगर मिल्स लिमिटेड फैक्ट्री थी। वह 80 करोड़ रुपये के घाटे में गई है। बार-बार तकाजा किया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह फैक्ट्री भारत सरकार के हाथ में थी। इसका कौन जिम्मेदार होगा। वहां के सैक्रेटरी का नाम लेना उचित नहीं है लेकिन मैंने बार-बार कहा कि गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ। इसलिए मैं मंत्री जी और सदन से कहूंगा कि शासक पक्ष में रहते हुए भी जब हालत खराब हो गई, उत्तर प्रदेश और केन्द्र में हमारी हुकूमत थी, मैंने सरकार से बात की। उत्तर प्रदेश में 128 चीनी मिलें हैं जिनमें से 35 उत्तर प्रदेश चीनी निगम के अंतर्गत हैं। जो पुरानी चीनी मिलें थीं, प्राइवेट सैक्टर में, उनकी आर्थिक दशा खराब हुई तो सरकार ने उन्हें टेक ओवर कर लिया। हमने कहा कि इसे भी ले लें। कपड़ा मंत्रालय भी तैयार था लेकिन फिर भी नहीं ली गई। मैं सदन में कह रहा हूं, मंत्री जी सच्चाई का प्रमाण भी ले लें। उस समय श्री वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने भी प्रयास किया। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि उनकी बात भी नहीं मानी गई। जैसे कानपुर शुगर मिल्स की बात की। उसके अंदर चार फैक्ट्रियां हैं, 18 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया था और 80 करोड़ रुपये की लायबिलिटी थी। हमको मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से समझौता हुआ और फैक्ट्री उस शर्त पर चलाई जाए कि 80 फीसदी गन्ने का दाम कठकुइयां और पडरौना बैंक को दिया जाए और गन्ने का दाम लिया जाए। इस पर पुनः फैक्ट्री चली। लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। फिर मजबूर होकर उसे रूग्ण घोाति किया गया। बी.आई.एफ.आर. की बात होती है। मंत्री जी एक भी उदाहरण बता दें कि बी.आई.एफ.आर. में जो फैक्ट्री गई, कहीं कोई चली है, केवल टी.ए., डी.ए. और फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों बी.आई.एफ.आर. कर रही है। मैं जानना चाहता हूं, खास कर कानपुर शुगर वर्क्स का केस दे रहा हूं। कितने दिनों से फैसला कर रहे हैं। हमारी जानकारी में था। एक अच्छी कम्पनी आई, उसे नहीं दिया। ऐसी कम्पनी को दे दिया जो चला नहीं पाई।â€¦(व्यवधान)चार साल से 18 करोड़ रुपये बकाया है। हमको तो जेल में बंद किया जाता है। हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो सूद दर दूस वसूल होता है, हमारी खेती ले ली जाती है, जमीन बिकवा दी जाती है। सुनते हैं कि साढ़े पांच साल में दुगना हो जाता है, डेढ़ साल में 36 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों ने मजबूर होकर -

भुभुक्षतम किम् न करोति पापम्

क्षुधा जनानि निकरूणा भवन्ति।

भूखा इंसान संसार का हर अपराध कर सकता है। जब भगवान के गुरू विश्वमित्र को भूख की ज्वाला सताने लगी तो उनको चंडाल के घर में जाकर कुत्ते का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी तरह पडरौना के किसान मजदूरों को मजबूर होकर अपना आन्दोलन करना पड़ा।

उसके परिणामस्वरूप उनके सीने पर गोली चलाई गई और तमाम लोग घायल हो गये। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम लोग कहां जाएंगे, किस न्यायालय में जाएंगे? मैं मंत्री जी से गम्भीरता के साथ कहता हूं कि इसके बारे में मैं अपनी सरकार से भी मिला हूं। मैं केवल लैक्चर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मंत्री दरयाफ्त कर लें, मैं प्रधान मंत्री जी से मिला और प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर की मीटिंग में एलान किया था कि हमारी हुकूमत अगर दिल्ली में बनी और प्रदेश में रही तो मिलें बन्द नहीं होंगी और गन्ने का दाम बाकी नहीं रहेगा। प्रधान मंत्री से मिलने के बाद उस वक्त गोली चली थी। प्रधान मंत्री कहते हैं, राम नगीना जी, मैं भी चाहता हूं कि वहां की समस्या का समाधान कर दिया जाये, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, वित्त मंत्री से बात की, वे भी इसके लिए तैयार हैं। इसलिए कोई बीच का रास्ता बात करके निकालने के लिए यह सब तय हो जाये।

सभापति महोदय : मिश्र जी, थोड़ा संक्षेप में।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, कम से कम हमें रोने तो दीजिए, न दाम मिल रहा है, न मिल चल रही है, लेकिन सही बात तो कहने दीजिए।

सभापति महोदय : मैंने संक्षेप में बोलने के लिए कहा है, आपको बोलने से रोका नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : आप सुन लीजिए, मैं कोई गप्प बात नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात कह रहा हूं जो रिकार्डिड होगी और आप समझेंगे। मैं मंत्री जी से सिर्फ यह चाहता हूं कि मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से बात कर लें और जो बात मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि बिल्कुल झूठ है तो फिर एक ही काम है। यह साधारण समस्या नहीं है, हमारे यहां 15 चीनी मिलें हैं और हमारे जिले में 15 में से नौ मेरे क्षेत्र में हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में चार निजी क्षेत्र की मिलें और एक सरकारी क्षेत्र की, कुल पांच मिलें बन्द हैं। 10 में से पांच मिलें वहीं बन्द हैं और क्या होने जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट 35 मिलों की उत्तर प्रदेश सरकार की है, उनमें से 29 मिलें बन्द होने जा रही हैं। इनको कोई चला नहीं पाएगा, ये 12 अरब रुपये के घाटे में जा रही हैं। 12 अरब रुपये से ऊपर का घाटा हो रहा है। अगर 29 मिलें ये भी बन्द हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उत्तर प्रदेश कहां जायेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये 800 और 1000 टन क्षमता की पुरानी मिलें हैं। इनको भगवान भी नहीं चला सकता है, वे घाटे में जाएंगी। आज 2500 और 3000 टन से ऊपर की मिलें जो होंगी, वही चल सकती हैं। इस वक्त एक नई मिल बनाने में 50 करोड़ रुपया लग रहा है और 12 अरब रुपये के घाटे में उत्तर प्रदेश चीनी निगम की फैकटरीज हैं। 12 अरब में कम से कम 24 मिलें बन जातीं, 20 मिलें बन जातीं तो मेरा यह सुझाव है कि कम से कम हर साल अगर 2-2 मिलें बिठा दें तो भी उत्तर प्रदेश के किसानों का भला हो जायेगा।

मैं यह भी कह रहा हूं कि चीनी विकास निधि में उत्तर प्रदेश से कितना रुपया आपके फंड में जमा है। इन बीमार चीनी मिलों के लिए चीनी विकास निधि से कितना रुपया उत्तर प्रदेश को दिया गया है, कितना रुपया बिहार को दिया गया है? यह फंड क्यों बना, यह फंड इसलिए बना कि जिस मिल की हालत खराब हो, उसको अनुदान देकर ठीक कराया जाये। इतना ही नहीं, आपने कहा, देख लें, आज से दस साल पहले जो पुरानी चीनी मिलें थीं, उनको सबकार सब्सिडी देती थी, अपने टैक्स में छूट देती थी। अब वह टैक्स उन पर लग गया है।

जहां तक चीनी के मूल्य का सवाल है, यह बात सही है कि मर-मर कर किसान चीनी पैदा करता है और उस चीनी को कौन खाता है, वह करोड़पति को मुफ्त में, रिटेल प्राइस पर दी जाती है। जो गन्ना बेचता है, उसको एक किलो चीनी भी कोई देता है? कोई उसको एक किलो चीनी भी नहीं देता है। मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गन्ना किसान है, खून पसीना बहाकर चीनी बनवा रहा है, क्या आप ऐसा कोई नियम बनाएंगे कि उसको भी कम से कम साल में पांच किलो चीनी कम दाम पर दे दें, रिटेल प्राइस पर दे दें। अभी आपकी तमाम कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आई हैं। कोई भार्गव कमेटी है, मेरा कहना है कि हमारे यहां तो गन्ना बंदरबांट कर नहीं जाता हैâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : मिश्र जी, मैं आपको रोकता नहीं, आपका भााण बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो समय बढ़ाया है, उसकी सीमा भी समाप्त हो रही है। इसके बाद मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह जरूरी थोड़े ही है कि अभी उत्तर दें, अगले सत्र में दे दें।

सभापति महोदय : उसके बाद इस संकल्प के जो मूवर हैं, उनको भी बोलना है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संक्षेप में अपनी बात कह दें। अभी यह संकल्प डिस्पोज आफ नहीं होगा। इस संकल्प पर मंत्री जी का जवाब पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए यह अधूरा रहेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : आज की बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि यूं तो देश भर की यह समस्या है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की विकट समस्या है। वहां के गन्ना किसानों का और शूगर मिलों का क्या होगा। बिहार में 17 चीनी मिलें बंद हो गई हैं, हमारे यहां दस हो गई हैं और 29 बंद होने जा रही हैं। इस तरह 40 के करीब चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। इसके लिए मंत्री जी कोई ऐसा प्रबंध करें, जिससे ये मिलें बंद न हों। हमारे पास आपके द्वारा भेजा हुआ रिकार्ड है, जिसमें लिखा है कि 29 मिलें घाटे में हैं, उनको हम नहीं चला पाएंगे। इसलिए आप बताएं कि क्या भविय में कार्पोरेशन की ये 29 चीनी मिलें चलेंगी या नहीं और क्या इनकी केपेसिटी बढ़ेगी या नहीं ? मिसाल के तौर पर आज से दस साल पहले कांग्रेस के राज में हमारे यहां तीन चीनी मिलों, बेतालपुर, लक्ष्मीगंज और पिपराइच, की केपेसिटी बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ। वह प्रस्ताव आपके यहां आज वैसा ही पड़ा है, और जगह भटनी आदि में जगह भी ले ली गई, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन केपेसिटी नहीं बढ़ाई गई।

सभापति महोदय, हमारे पास मंत्री जी का और राज्य सरकार का जवाब आता है कि हमने इतने प्रतिशत, 95 प्रतिशत पेमेंट गन्ने की कर दी है। यह बात सही है कि चीनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। चीनी का स्टाक इतना हो गया है कि रखने की जगह नहीं है। यह भी सही है कि बाहर से भी चीनी आई थी, लेकिन अब हमारे यहां 20 लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ा है, जिसको रखने की जगह नहीं है। इसलिए चीनी का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अलग से मिलें बनी हैं, इसमें भी दो राय नहीं हैं। लेकिन पूर्वांचल में, गोरखपुर कमिश्नरी में जहां दो करोड़ की आबादी है, कह दिया जाता है कि वहां 95 प्रतिशत तक पेमेंट कर दी गई है। प्र धान मंत्री जी गोरखपुर गए। हमारे मंत्री जी ने कह दिया कि 95 प्रतिशत तक पेमेंट हो गई है। जब अखबार वालों ने वहां के लोगों से पूछा कि कितना पैसा बकाया है तो उन्होंने कहा कि 65 करोड़ रुपए के करीब बकाया हैं। सरदार नगर में 22 करोड़ रुपए, कानपुर शुगर मिल पर 18 करोड़ रुपए और कप्तानगंज में दस करोड़ रुपए बकाया हैं। पांच करोड़ रुपए सरकारी मिलों पर बकाया है। यह मैं केवल एक जगह की बात कर रहा हूं। पुरानी कहानी है कि एक विद्वान अपने बच्चों के साथ नदी पार करने लगा तो उसने नदी की गहराई साढ़े तीन फीट नापी। उसके बाद उसने अपने बच्चों की ऊंचाई किसी की साढ़े चार फीट, किसी की चार फुट और किसी की तीन फीट नापी और हिसाब लगाया कि नदी पार कर सकते हैं, क्योंकि नदी की गहराई से ज्यादा हमारी ऊंचाई बनती है। इस तरह वह बच्चों को लेकर नदी में उतर गया। जब बच्चे डूबने लगे तो वह हैरान होकर कहने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आप पूरे प्रदेश का हिसाब बता देते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का खा जाते हैं। इसलिए अलग-अलग हिसाब देखें।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। पहले कानपुर शूगर मिल बंद की गई, अब गंगोत्री मिल का नम्बर है। कानपुर शूगर मिल बी.आई.एफ.आर. के जिम्मे डाल दी और एक महीने का मौका दिया। आज तक कोई ग्राहक नहीं आया। पडरौना की चीनी मिल है, जो 29 रुग्ण चीनी मिलें हैं, उनसे बेहतर है। हमारे प्रधान मंत्री

जी और मुख्य मंत्री जी के सामने वह प्रस्ताव विचाराधीन है। हम कहना चाहते हैं कि 29 बीमार हैं तो एक चारपाई और बीमार की डाल दो। अगर 29 को 106 डिग्री बुखार है तो हमारे मरीज को तो 101 डिग्री ही बुखार है।

17.00 hrs.

उसको बिठा दीजिए क्योंकि कॉरपोरशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, शुगर मिल का तभी भला हो सकता है। हमारी जो बात यहां हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से बात कर लें। प्रधान मंत्री जी भी यू.पी. से हैं। अगर मेरी बातों में दम है तो बात करके कानपुर शुगर मिल का भला करवाइए। चीनी की पॉलिसी पर जो रिपोर्टें आई हैं, उनमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसी सदन में मैंने मांग की थी कि चीनी गन्ना किसान पैदा करता है, मजदूरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं तो बात समझ में आती है लेकिन यह पूंजीपति और करोड़पति को क्यों दे रहे हैं? 40 प्रतिशतलेवी की चीनी में दस प्र ातिशत की कमी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि दस-बारह प्रतिशत चीनी फौज को देने के लिए सरकारी काम में देने के लिए ले लीजिए, बाकी फ्री दीजिएगा। खाली मिल मालिक को गाली देने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार में आप मंत्री हैं, आपके जिम्मे सारे देश की चीनी मिलें हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रधान मंत्री जी से बात करके कम से कम कानपुर शुगर मिल का भला अवश्य करवाइए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मदनलाल जायसवाल जी द्वारा गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के बारे मं संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यू.पी. और बिहार की बात यहां की गई है लेकिन हमारे राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में बूंदी जिले के अंदर चीनी की एक बहुत बड़ी मिल है जिसके ऊपर केन्द्र का अधिकार है। यह मिल लाभ में चलती थी लेकिन राज्य सरकार को सौंप दी गई और राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण केशवराय पाटन शुगर मिल निजी हाथ में सौंपने का डयंत्र चल रहा है। विगत चालीस वर्षों से यह केशवराय पाटन मिल चल रही थी और दस करोड़ रुपये का टर्न ओवर है और राजस्थान सरकार उसे बंद करना चाहती है। अब तक मिल की साज-सफाई का काम शुरु कर देना चाहिए था, कल पुर्जों के रख-रखाव का काम शुरु कर देना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। सितम्बर में हर साल शुरु हो जाता है। 25 दिसम्बर से गन्ने की पिराई शुरु हो जाती है और 12 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई इस केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी में होती थी। मिल बंद होने से किसान को गन्ना बेचने में बड़ी समस्या आएगी और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बूंदी जिले के अंदर 5053 हेक्टेअर भूमि में 26.15 लाख क्विंटल गन्ना आज की तारीख में खड़ा है लेकिन अगर यह मिल बंद हो गई और जैसा कि राजस्थान सरकार दस करोड़ रुपये के घाटा में चलने वाली गंगानगर शुगर मिल को चालू रख रही है औख केशवराय पाटन मिल जो हमेशा से फायदे में चल रही थी और करोड़ों रुपये का टर्न-ओ वर दे रही थी तथा चालीस वर्षों से चल रही थी, उसे निजी हाथों में सौंपकर उपेक्षा बरत रही है। इससे किसानों की स्थिति क्या होगी, वे बिचारे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाएंगे। इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राज्य सरकार पर दबाव डालकर उन चीनी मिलों को प्रारम्भ कराएं नहीं तो मिल बंद होने से हजारों किसान दर-दर के भिखारी हो जाएंगे और सारी कमाई पर पानी फिर जाएगा। 1978 में भी जब घाटा हुआ था और शुगर अंडरटेकिंग एक्ट राजस्थान सरकार ने पास किया था और केन्द्र से प्रार्थना की थी, केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण किया और 1985 तक इस मिल को चलाया था। इसलिए आज जहां देश के अंदर 68 मिलें बंद हैं, 700 करोड़ रुपया बकाया है, वहीं पर अगर राजस्थान की एकमात्र मिल बंद हो गई तो राजस्थान के किसानों का क्या होगा? हड़ौती क्षेत्र के किसानों का क्या होगा? मेरा आपसे आग्रह है कि गन्ने की आपूर्ति गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों के द्वारा उचित कीमत का भुगतान किया जाये। गन्ना पैदा करने वाले जो राज्य हैं, वहां पर बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाये और राजस्थान में केशवराय पाटन क्षेत्र के अंदर एकमात्र शुगर मिल तथा दूसरी गंगानगर शुगर मिल दोनों को चालू रखा जाये। बूंदी का किसान चार बार चक्का जाम कर चुका है, इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।

मिल को प्रारम्भ करने के लिए केवल पांच करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो पहले दिया जाता रहा है, लेकिन अब वह राशि देने में आना-कानी कर रही है। गंगानगर की शुगर मिल में दस करोड़ का घाटा है,सरकार उस मिल को पैसा देकर चलाना चाहती है, लेकिन इस मिल को पांच करोड़ रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ यह सवाल है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मिल किसानों और कर्मचारियों की मदद से चलाई जा सकती है और उनको केवल 3.61 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कार्य करने के लिए सिर्फ एक करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कहकर उस मिल को चलाने के लिए प्रावधान कराये। किसानों के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से उस मिल को चालू करवाने का प्रावधान किया जा सकता है।

खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह मिल हमेशा चलती रही, लेकिन 1998 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस मिल को एक पैसा भी नहीं दिया गया। अप्रैल, 2000 में सरकार को 3.52 करोड़ रुपया का मिमो दिया गया है।

MR. CHAIRMAN : Prof. Rasa Singh Rawat is the last speaker. After his speech, the hon. Minister has to intervene, and then the mover has to reply. If the House agrees, we may extend the time by another twenty minutes. ...(*Interruptions*)

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : Sir, the time for this discussion was only up to four o'clock, but it continued till now. ...(*Interruptions*) महोदय, मेरा भी संकल्प है।

समापति महोदय : जब तक पहले वाला पूरा नहीं होगा, तब तक यह कैसे हो सकता है। Then, we have to take up the Resolution of Dr. V. Saroja, and your Resolution is the next one.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Is the House agreeing for a 20-minute extension?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Prof. Rasa Singh Rawat, please conclude now.

प्रो. रासा सिंह रावत : इस मिलके डायरैक्टरों को बदल दिया गया है। यह सब कार्य कुप्रबन्धन के कारण हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मिल को चलवाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may now intervene. After your intervention, Shri Jaiswal will give his reply.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, सदन में महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं

कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों को बकाया न मिलने की चिन्ता है और माननीय सदस्यों की चिन्ता से सरकार बिलकुल सहमत है। सरकार द्वारा इस दिशा में प्र यत्न किए गए हैं।

सभापति जी, वस्तुस्थिति यह है कि 1999-2000 में कुल 11,914 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें से 11,648 करोड़ रुपया दे दिया गया है। इस प्रकार 266 करोड़ रुपया बकाया है और यह बकाया 2.24 प्रतिशत है। इसी प्रकार की फसल जब 1995 में हुई थी, तो बकाया 5.9 प्रतिशत था। पिछला बकाया 134 करोड़ रुपया और इस साल का बकाया 266 करोड़ रुपया, यानि 400 करोड़ रुपया बकाया है। इस साल बकाया 266 करोड़ रुपए में से 256 करोड़ रुपए सात प्रदेशों का है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कि बकाया मिलना चाहिए। मेरे पास बिहार, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन आपका निर्देश है कि संक्षिप्त में बात कही जाए, तो मैं संक्षिप्त में दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि आदेश एक है, जिस आदेश के मुताबिक 14 दिन के अंदर बकाया देने की उन पर बाध्यता है। यदि 14 दिन के अंदर बकाया न दिया जाए तो उसके बाद 15 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाना चाहिए। अब यह शक्तियां प्रदेश की सरकार के पास हैं, इन शक्तियों का प्रयोग प्रदेश की सरकार ने करना है। अगर प्रदेश की सरकार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती तो भारत सरकार क्या कर सकती है, उस बारे में हमने कुछ सोचा है। आप भी कुछ सुझाव दीजिए, हमें आपके सुझाव स्वीकार होंगे। जहां तक बंद मिलों का सवाल है, कुल मिला कर 69 मिलें बंद हैं और उनमें से उत्तर प्रदेश में 19, बिहार में 18, 69 में से इन दो प्रदेशों में ही 37 मिलें आज बंद हैं। इनमें से 39 बीआईएफआर को सीका के मुताबिक दी जा चुकी हैं।

महोदय, जब कोई मिल सिक होती है तो निश्चित रूप से कानून के मुताबिक प्रक्रिया शुरू होती है और उसे बीआईएफआर को रेफर किया जाता है, यह कानून है, नियम है। अब यदि रेफर किया गया है तो हमने नहीं किया, यह प्रदेश की सरकार की सरकार ने किया है। उसमें किसी मिल का क्या स्टेटस है, यह भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब एरियर अदा होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। उस दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार ने क्या किया। यहां एक बात की गई कि यहां जो सभापति जी बैठे थे, उनका धन्यवाद किया गया। जब एक मिल के बारे में बात की गई तो उन्होंने उस मिल की लेवी शुगर एक साल के लिए क्षमा कर दी तो उन्होंने धन्यवाद किया। मैं चाहूंगा कि वह मेरा भी धन्यवाद करते, क्योंकि एक मिल का नहीं बल्कि पूरे देश की लेवी की प्रतिशत 40 प्र तिशत से कम करके 30 प्रतिशत हमने की। पूरे देश को यह सुविधा दी और दस प्रतिशत जब हमने कम की तो एक बात बड़े जोर-शोर से की गई थी, यह जो दस प्र तिशत का लाभ हमें दे रहे हैं कृपा करके यह लाभ सीधे किसानों को पहुंचाइए। यह बहुत बड़ा निर्णय था कि हमने दस प्रतिशत लेवी कम की। दूसरी बात यह कही गई कि इम्पोर्ट हो रही है, आज नहीं हो रही है। हमने इम्पोर्ट पर 60 प्रतिशत ड्यूटी लगाई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। 60 प्र तिशत ड्यूटी लगाने के बाद इम्पोर्ट पूरी तरह से बंद है। यदि हमें लगा कि फिर भी इम्पोर्ट होने लगा है तो हम ड्यूटी बढ़ाएंगे।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अब चीनी का आयात नहीं हो रहा है, चीनी का आयात बिलकुल नहीं होने दिया जाएगा। गन्ने के बकाया की अदायगी हो, इसके लिए जो फ्री सेल का मेकेनिज़म था, उसमें हमने कहा कि हम जो एडिशनल फ्री सेल देते थे उसे गन्ने की बकाया की अदायगी के साथ हमने जोड़ा। हमने यहां तक किया कि जब किसी मिल को हम एडिशनल फ्री सेल देते थे तो उसमें यह शर्त थी कि डिप्टी कमिश्नर सर्टिफिकेट देगा कि यह जो अधिक चीनी रिलीज़ करने का अधिकार दिया गया है, इसके एक-एक पैसे का भुगतान किसान को दिया जाए। 700-800 करोड़ रुपए से एरियर घट कर 400 करोड़ रुपए पर आए, हमने एक कदम यह भी उठाया था। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट करने का भी निर्णय किया कि दस लाख टन चीनी हम एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे खुशी है कि उसमें इनडायरेक्ट इनसेंटिव हमने मिलों को दिए। उसका परिणाम यह है कि चीनी एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई है। चीनी एक्सपोर्ट होगी तो उसका भी हमें लाभ होगा। यहां जो एक बात की चर्चा की गई कि चीनी मिलों की कास्ट कम हो, उनकी आय बढ़े। उसके दो फायदे होंगे, अगर कास्ट कम होगी तो हम चीनी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे और आय बढ़ेगी तो उसका लाभ होगा।

आय बढ़ेगी तो उसका लाभ होगा तो उसी दृटि से जो बाई-प्रोडक्ट्स हैं उनको उस दिशा में बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टरी विशे रूप से एथनॉल से पेट्रोल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और हम अपने कानूनों में भी संशोधन कर रहे हैं ताकि उसमें यह बात आये। ये चीजें हमने की हैं।

माननीय योगी जी ने एक ह्रदय-विदारक बात कही कि अगर किसान उधार चुकता न कर सके तो उसका ट्रेक्टर तक ले लिया जाता है, सब कुछ ले लिया जाता है लेकिन दूसरे लोग करोड़ों रुपयों की अदायगी नहीं करते हैं तो भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आदेश है कि 14 दिन में अदायगी करो, नहीं करते तो 15 प्रतिशत ब्याज लगाओ, फिर भी ये लोग अदा नहीं करते हैं। इस पर हमने बहुत सोचा कि इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है। हमारे पास एक और अधिकार था और उसका उपयोग कर लिया गया है। नवम्बर माह में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया कि जिस प्रकार से बकाया वसूल करने के लिए कहीं पर भी सरकार अंतिम शस्त्र का उपयोग करती है कि वह बकाया एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर लिए जाएंगे। हमने 29 नवम्बर को आदेश कर दिया है कि किसान के जो एरियर्स होंगे, वे समय पर न दिए जाएं तो उनको एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर भी दिया जा सकता है। यही बड़ी से बड़ी बात हमारे पास थी और इसे हमने कर दिया है।

इसके अलावा दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। एसटीएफ रूल्स के अंदर 1007 करोड़ रुपया विभिन्न मिलों के आधुनिकीकरण और दूसरी बातों के लिए हम दे चुके हैं। एक बात यहां पर कही गयी कि भारत नम्बर दो पर है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारत दो नम्बर पर नहीं है। भारत का उत्पादन 182 लाख टन है, ब्राजील का 173 लाख टन है और ड्यूटी 27 प्रतिशत नहीं बल्कि 60 प्रतिशत हमने बढ़ाई है। एक बात और कही गयी है जो इससे संबंधित नहीं है और वह बिहार के चावल के बारे में कही गयी है। सभापति महोदय, मंगलवार को हमने माननीय नीतीश कुमार जी से बात करके बैठक बुलाई है। बिहार में प्रोक्योरमेंट की जो समस्या है उसके बारे में बात करने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों को भी हमने बुलाया है।

अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम आपकी चिंता से सहमत हैं। इसलिए हमने एरियर्स ऑफ लैंड रैवेन्यू के तौर पर लेने की बात कही है। बाकी मिलें सरकारी, कोओपरेटिव और निजी लोगों की हैं। गन्ना उन्होंने लिया है, इसलिए उनको एरियर्स देना चाहिए। एरियर्स देने के लिए जो-जो मदद सरकार कर सकती थी वह सारी मदद हमने की है। आपका सुझाव मैं स्वीकार करता हूं कि इस विाय में और अधिक गंभीरता से विचार करने के लिए सभी प्रदेशों के गन्ना मंत्रियों की बैठक बुला करके देखेंगे कि इस दिशा में और क्या किया जा सकता है। उनसे भी सलाह करेंगे और इसके अतिरिक्त और कोई सुझाव आप देना चाहें तो हम उसे भी स्व ीकार करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे वापस ले लें।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है और गन्ना किसानों के संबंध में जो एक्ट है उसमें मैंने एक आग्रह किया था कि 15 दिन के बाद भुगतान करने की जो व्यवस्था है उसे आप एक्ट में प्रावधान करके क्या 7 दिन का कर सकते हैं। आपने कहा है कि 2.4 प्रतिशत बाकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 वर्षों से किसानों का जो बकाया पड़ा है, जिन्होंने 7 या 8 साल पहले गन्ना दिया उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। आपने कह दिया कि 2.4 प्रतिशत बकाया है। चीनी विकास कोा की जो राशि है, मेरा कहना यह है कि जिस समय माननीय देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने 550 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिये और उनसे चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान किया गया। क्या आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उस राशि से उन लोगों का भुगतान हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि चीनी उद्योग के बारे में जो व्यवस्था है उससे देश के करीब 25 करोड़ लोग प्रभावित हैं। इसकी इतनी बड़ी पोटैंशियलिटी है कि तीन हजार मैगा वाट बिजली पैदा की जा सकती है।

इन सारी बातों को लेकर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शूगर डैवलपमैंट फंड से पैसा लेकर चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने की व्यवस्था करें। आई.एफ.सी.आई. बैंकों

से इन्हें ऋण देने की व्यवस्था करें। आप फ्री सेल शूगर रिलीज करते हैं। प्रत्येक महीने 11 परसैंट रिलीज करते हैं। ऐसे में किसान कहेंगे कि शूगर मिल कहता है कि 11 परसैंट रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे कहां है? जितना चीनी का उत्पादन हो गया है उसके हिसाब से बकाया राशि का भुगतान अविलम्ब करने की व्य वस्था करें। आप इसे कानूनन बैंकों द्वारा करवा सकते हैं। भारत सरकार बैंकों द्वारा किसानों के बकाया का भुगतान करवा सकती है।

बी.आई.सी. की बात हुई। कानपुर शूगर मिल है, चम्पारण शूगर मिल है और मेरे यहां चकिया मिल बंद है, चनपटिया मिल बंद है, मढ़ोरा बंद है। आपने टैक्सटाइल मिल को चलाने के लिए बी.आई.सी. को 216 करोड़ रुपए दे दिए। क्या भारत सरकार की ओर से इन चीनी मिलों को चलाने के लिए राशि नहीं दे सकते हैं? शूगर डै वलपमैंट फंड से राशि नहीं दे सकते हैं? कृपया मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें। मैं सरकारी पक्ष का व्यक्ति हूं। मंत्री जी ने वायदा किया है।â€¦(व्यवधान)

श्री शान्ता कुमारः हमारे पास जो भी प्रार्थना पत्र आएंगे और वे मिलें इस प्रकार की हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उन पर विचार होगा।

श्री अधीर चौधरी :आप इम्पोर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं?â€¦(व्यवधान) The whole stock is spoiling here and now you are encouraging import....(*Interruptions*)

श्री शान्ता कुमारः इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है। यदि वह हो रहा है तो डबल्यू.टीओ. का जो समझौता आप करके गए, उसके कारण हो रहा है। â€¦(व्यवधान)आपके कांटे हमें चुभ रहे हैं।

17.22 बजे (श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए)

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह एक गम्भीर सवाल है। मंत्री जी ने स्पट बात नहीं कही है। जो सवाल अभी जायसवाल जी ने उठाया है और दूसरे कई वक्ताओं ने उठाया, उनका आप स्पट जवाब दें। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं? मढ़ोरा चीनी मिल के सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं? पंडित जी ने कई गम्भीर सवाल उठाए। वह बुढ़ापे में इस बात को लेकर जेल गए। आप उन सवालों को स्पट कीजिए और उनके बारे में आश्वासन दीजिए। हमें समय दीजिए, हम से बात करिए। यदि कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो इसका क्या मतलब होगा?

श्री शान्ता कुमारः ये मिलें या तो स्टेट गवर्नमैंट की हैं या कोआपरेटिव सोसायटी या प्राइवेट लोगों की हैं। उन्होंने गन्ना लिया, चीनी बनाई, और बेच दी। वह उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं। यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसके लिए जो कदम उठाए गए, वह मैंने बता दिए। एस.डी.एफ. रूल्स के मुताबिक ये मिलें एप्लाई करें और हमारे पास आधुनिकीकरण और बाकी बातों के लिए आएं। नियमों के अन्तर्गत मैंने कहा कि इस प्रकार की मिलों को हम प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने की बात करेंगे, अवश्य करेंगे। एक हजार करोड़ रुपए पहले दिए जा चुके हैं। मैं गन्ना मंत्रियों की बैठक बुला रहा हूं। आप सब इस उद्योग से संबंधित हैं। मेरे साथ समय तय कर लीजिए, आइए, बैठिए। हम बैठ कर बात करेंगे।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved Dr. Madan Prasad Jaiswal be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.